रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 3, 1965 (चैत्र 13, 1887)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3, 1965 (CHAITRA 13, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 23 मार्च 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 23rd March, 1965 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
24	No 3(8) 3G IV dated 20th March 1965	Ministry of Food & Agriculture	Appointment of a study Team of Indian and Swedish experts to conduct a general Survey and analysis of questions relating to the establishment of an efficient grain storage system in India
25	No 104 I C 65, dated 20th March 1965	Lok Sabha	Amendments to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha
	सं० 101/1/सी०/65 दिनांक 20 मार्च 1965	लोकसभा	लोकसभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गए निर्देशों में संशोधन
26	No 16-IIC(PN)/65, dated 20th March 1965	Ministry of Commerce	U S Aid Programme—Chartering of Ocean vessels and embargo on certain vessels for transport of AID—financed goods
27	No 17 IIC(PN)/65 dated 23rd March 1965	Do	Import of machinery components thereof equipment other commodities and raw materials from the U S A under AID Loan No 103
28	No 13/25/64-FP(Agri) dated the 23rd March 1965	Do	Setting up of a study group on Cashew experts Production and Supply
	सं० 13/25/64-वि० सं० (कृषि), दिनांक 23 मार्च, 1965	वाणिज्य मंत्रालय	काजू के निर्यात उत्पादन तथा संभरण के लिये अध्ययन दल की स्थापना।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes

विषय-सूची

CONTENTS

	पृष्ठ Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	155
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियां, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	259
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	161
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

पृष्ठ
Pages

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित है) .. 539

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं 1081

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश 85

भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 191

Pages

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें .. 11

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .. 2

भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं .. 236

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .. 6

पूरक सं० 14—

27 मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .. 439

6 मार्च, 1965 को समाप्त होनेवाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े .. 449

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 155

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 259

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence 161

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories .. 539

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories 1081

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 85

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 191

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 113

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 23

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2363

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 65

SUPPLEMENT No. 14—

Weekly Epidemiological Reports for week-ending 27th March 1965 439

Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 6th March 1965 449

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1965

सं० 23-प्रेज/65—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित वीरता के लिये "अशोक चक्र, द्वितीय श्रेणी" प्रदान करने का अनुमोदन करते है :—

1. 1006 विलेज गार्ड सूबेदार थेपफुरिले अंगामी,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—23 जून 1963) ।

16 जनवरी 1961 को सूबेदार (सब जमादार) थेपफुरिले अंगामी को उपयुक्त कार्यवाही की योजना बनाने के लिये, 9 विलेज गार्ड के साथ एक जंगल मे उपद्रवियों के एक शिविर का और उसकी लगभग संख्या शक्ति का पता लगाने के लिये तैनात किया । सूबेदार अंगामी ने उस शिविर का पता लगा लिया जिसमें लगभग 20 उपद्रवी थे । यह अनुभव करते हुए कि अगर वह बड़ी कुमुक लेने के लिये वापस गए तब तक सारे शत्रु जंगल में छिप सकते हैं अतः उन्होंने अपने दल की छोटी टुकड़ी के साथ ही तुरन्त हमला करने का निश्चय किया । यह आक्रमण बहुत सफल सिद्ध हुआ और भी कई गत अन्य अवसरों पर उन्होंने उपद्रवियों के विरुद्ध गश्ती दल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया ।

जून 1963 में विलेज गार्डों मे से एक दल उपद्रवियों के बारे में कूटनीति से पता लगाने के लिये संगठित किया गया । सूबेदार अंगामी ने उस दल के कप्तान के रूप में काम किया । उन्होंने छिपे रूप से बहुत उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कीं जिससे उपयुक्त कार्यवाही की जा सकी । एक बार उस दल का उपद्रवियो की एक दुगनी संख्या की टोली से सामना हो गया । सूबेदार थेपफुरिले अंगामी ने बहुत धैर्य के साथ अपना दायित्व निभाया तथा बिना कोई संदेह उत्पन्न किये उनके दल से बच निकलने में सफल हुए ।

सूबेदार थेपफुरिले अंगामी ने सदैव उत्कृष्ट वीरता, साधन सम्पन्नता और उच्च श्रेणी के नेतृत्व का परिचय दिया ।

2. श्री पैट्रिक एडवर्ड क्रीज़ल (मरणोपरांत) ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 मार्च 1964) ।

8 मार्च 1964 को श्री पैट्रिक एडवर्ड क्रीज़ल 38 डाउन मद्रास हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी के चालक थे । जब रेल एक स्टेशन से गुज़र रही थी, उन्होंने देखा कि आगे पटरी पर दूसरी रेलगाड़ी है । खतरा सन्निकट अनुभव करते हुए, उन्होंने गाड़ी को ठहराने के लिये सब ब्रेकों का प्रयोग किया तथा अपने दो फायरमैनों को अपनी जान बचाने के लिये इंजन से कूद जाने के लिये चिल्लाए, किन्तु वह स्वयं अपनी ड्यूटी पर रहे तथा इंजन से कूद कर जान बचाने की बजाय मृत्यु का सामना किया । अपने जीवन के मूल्य पर श्री क्रीज़ल ने रेलगाड़ियों में टक्कर की भयंकरता को कम करने में काफी सफलता पाई जिससे जन-जीवन की क्षति भी कम हुई ।

श्री पैट्रिक एडवर्ड क्रीज़ल ने प्रतिउत्पन्न मति, उदाहरणीय साहस और आत्म बलिदान का परिचय दिया ।

3. 2365 विलेज गार्ड सूबेदार जेविशे सीमा ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—15 जनवरी 1964) ।

14 जून 1963 को सूबेदार जेविशे सीमा 11 विलेज गार्डों को साथ लेकर जब घने जंगलों के रास्ते एक सीधी चढ़ाई पर जा रहे थे तो 35 सशस्त्र उपद्रवियों के एक दल ने उन्हें घेर लिया । उपद्रवियों की गोलियां बहुत पास से आने लगीं । गोलियों की बौछारों के होते हुए भी सूबेदार जेविशे ने शान्त साहस और बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया और उन्होंने एक हथगोला फेंका तथा अपने साथियों को उपद्रवियों पर वार करने के लिये दो दलों में बांट दिया और चारों ओर से आक्रमण कर घेरे को नष्ट कर दिया ।

15 जनवरी 1964 को सूबेदार जेविशे को 15 विलेज गार्डों के साथ उपद्रवियों से पीड़ित क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करने के लिये भेजे गए जुनहिबोतो के एडीशनल डिपुटी कमीश्नर के काफिले की सुरक्षा करने का कार्य सौपा गया । सूबेदार जेविशे सीमा ने चार विलेज गार्डों के आगे चलने वाली गाड़ी में चलने के लिये अपने को समर्पित किया । जब उनकी गाड़ी एक गांव में पहुंची तो उपद्रवियों ने उसे घेर लिया और छोटे हथियारों की भारी गोलाबारी आरम्भ कर दी । एक गोली उनकी जांघ पर आ लगी और वे नीचे गिर पड़े और बुरी तरह खून गिरने लगा । उनकी पिस्तौल में भी गोली लगी और वह खराब हो गई । उन्होंने अपने एक साथी की राइफल छीनकर रेंगते हुए गोलियां चलाने की स्थिति पर आकर उपद्रवियों को आगे बढ़ने से रोका और साथ ही साथियों को आदेश दिया कि वे जमे रहें । उनके साथियों ने उपद्रवियों का तब तक कारगर मुकाबिला किया जब तक कि मुख्य सुरक्षा दल नहीं पहुंचा और उपद्रवियों को अपनी स्थिति से वापिस होने के लिये मजबूर कर दिया । इस प्रकार नाजुक घड़ियों के दौरान केवल अपने अधीनस्थ 4 साथियों के साथ सूबेदार जेविशे सीमा ने शत्रु की काफी बड़ी शक्ति के प्रहार को अस्तव्यस्त कर दिया ।

सूबेदार जेविशे सीमा ने उत्कृष्ट वीरता, कर्तव्यपरायणता तथा नेतृत्व का सुन्दर परिचय दिया ।

सं० 24-प्रेज/65—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित वीरता के लिये उनको "वीर चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते है :—

1. 2/लैफ्टि० विनोद कुमार गोस्वामी (आई० सी०—12323), 4 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत) ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—14 नवम्बर 1962) ।

14 नवम्बर 1962 को 2/लैफ्टि० गोस्वामी को नेफा में तवांग चू नदी के उत्तरी ओर चीनियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के लिये तथा यदि सम्भव हो तो एक चीनी को बन्दी बनाने का काम सौंपा गया । वह अपने गश्ती दल को घने जंगल से होकर ले गए और नदी के दक्षिण ओर अड्डा स्थापित कर लिया । उन्होंने 20 चीनी सैनिकों को शाम को रहो गांव में एक झोंपड़े के पास रात बिताने के लिये रुकते देखा ।

अंधेरा होने पर 7 जवानों को साथ लेकर 2/लैफ्टि० गोस्वामी ने नदी पार की । कुछ समय बाद वह अपने गश्ती दल को लेकर झोंपड़े की ओर गए । 2/लैफ्टि० गोस्वामी ने एक आदमी को मार्ग

में बैठे देखा जिसे शीघ्र ही पहचान लिया कि वह चीनी संतरी है। वह उसकी ओर एक सशस्त्र सैनिक के साथ चुपके-से बढ़े और उसे दबोच लिया तथा उसकी राइफल छीनने के साथ उसका मुंह तौलिये से लपेट दिया। इस हाथापाई से दूसरा चीनी सैनिक झोंपड़े के बाहर आ गया: यद्यपि उसने गोली चलाई, फिर भी 2/लैफ्टि० गोस्वामी ने उसे बायनट मार दिया। हमारी बचाव टुकड़ी ने स्टेनगन से गोली चलाना और हथगोले फेंकना प्रारम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप झोंपड़े तथा गांव में खलबली मच गई। 2/लैफ्टि० गोस्वामी ने यह समझ कर कि चीनी सन्तरी को साथ लाना सम्भव नहीं है, शत्रु से छीनी राइफल का कुंदा उसके सिर में मार दिया और अपने अड्डे की ओर चल पड़े। इसके उपरान्त वह नहीं देखे गए। शेष दल 15 नवम्बर प्रातःकाल अपने मुख्यालय को वापस आ गया।

इस कार्यवाही में 2/लैफ्टि० विनोद कुमार गोस्वामी ने उदाहरणीय साहस, पहल शक्ति तथा नेतृत्व शक्ति का परिचय दिया जो कि भारतीय सेना की उच्चत्तम परम्पराओं के अनुकूल है।

2. लैफ्टि० उजागर सिंह तेजे (जे० के० सी०–30), 13 जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया। (मरणोपरांत)।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—22 सितम्बर 1964)।

लैफ्टि० तेजे जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया की एक कम्पनी का जम्मू तथा काश्मीर की घाटी में कमान कर रहे थे। जब 22 सितम्बर 1964 को उनकी एक प्लाटून पर लगभग 50 पाकिस्तानी अतिक्रमियों ने मार्टर तथा मझोली मशीन गन सहित आक्रमण कर दिया। अपनी एक टुकड़ी का स्वयं नेतृत्व करते हुए उन्होंने साहसपूर्वक चौकी की सुरक्षा की और अतिक्रमियों को भारी क्षति पहुंचा कर पीछे हटा दिया किन्तु शत्रु की एक मशीन गन की गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई।

इस कार्यवाही में लैफ्टि० उजागर सिंह तेजे ने भारतीय सेना की उच्चत्तम परम्पराओं के अनुकूल साहस तथा नेतृत्व का परिचय दिया।

3. जे० सी०–4852 सूबेदार नन्दा बहादुर गुरुंग, 3/8 गोरखा राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—22 सितम्बर 1964)।

22 सितम्बर 1964 को सूबेदार नन्दा बहादुर गुरुंग एक टुकड़ी के लीडर थे। उनकी टुकड़ी जम्मू तथा काश्मीर में एक बहुत दुर्गम पहाड़ी पर अच्छी एवं आधिपत्यपूर्ण जगह पर स्थित पाकिस्तानी अतिक्रमियों से मोर्चा ले रही थी। अतिक्रमी उनकी टुकड़ी पर निरन्तर मझोली मशीन गन से गोलियां चला रहे थे। सूबेदार गुरुंग ने यह अनुमान किया कि यदि मझोली मशीन गन शांत न हुई तो उनकी ओर भारी क्षति होगी। सूबेदार गुरुंग रेंगते हुए आगे बढ़े और एक हथगोला फेंका तथा अतिक्रमी की मशीन गन की खाई में दौड़ कर घुस गये; मशीन गन छीन ली और मशीन गन चालक को खुखरी से मार डाला। इस भयंकर मोर्चे में सूबेदार नन्दा बहादुर गुरुंग निरन्तर अपने साथियों के लिये प्रेरणा का स्रोत थे और उन्होंने भारतीय सेना की उच्चत्तम परम्पराओं के अनुकूल साहस तथा नेतृत्व का परिचय दिया।

सं० 25-प्रेज/65—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को वीरता के लिये "अशोक चक्र, तृतीय श्रेणी" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

1. 1628 बी० जी० हवलदार गेतूकली अंगामी।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 सितम्बर 1961)।

हवलदार गेतूकली अंगामी। मार्च 1959 से 20 मई 1961 तक एक चौकी के द्वितीय कमांडर थे तथा उसके बाद वह कमांडर नियुक्त हुए। उनके उत्साहवर्धक नेतृत्व में उनकी चौकी कई उपद्रवियों को पकड़ने तथा कुछ गोला-बारूद छीनने में सफल हुई। उन्होंने अपने क्षेत्र में स्वयं अनेकों बार उपद्रवियों के विरुद्ध सक्रियाओं में नेतृत्व किया तथा सफलता प्राप्त की है।

15/16 सितम्बर की रात्रि को इनके एक गश्ती दल को उपद्रवियों ने घेर लिया तथा एक ग्राम रक्षक घायल हो गया। अनेक बाधाओं के होते हुए हवलदार अंगामी ने शीघ्र ही उपद्रवियों पर धावा बोल दिया तथा अति निकट से एक उपद्रवी को गोली से मार दिया। इस साहसिक कार्यवाही से उपद्रवी इतने हतोत्साह हो गये कि वह मृत को राइफल के साथ छोड़ कर भाग गए।

हवलदार गेतूकली अंगामी ने उच्च श्रेणी की वीरता तथा नेतृत्व शक्ति का परिचय दिया है।

2. 1313448 लांस नायक शनमुगा मुदालियर चिदाम्बरम, इंजीनियर्स (मरणोपरान्त)।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 फरवरी 1963)।

लांस नायक चिदाम्बरम को भूटान में कठिन तथा पथरीली भूमि पर सड़क बनाने के लिये ब्वाइंट डोजर को चलाने के लिये नियुक्त किया गया था।

5 फरवरी 1963 को जब वह डोजर को एक विशेष कठिन तथा ढालू स्थान पर चला रहे थे, तो दूसरे चालक ने उन्हें आगाह किया कि पहाड़ी की तरफ से एक बहुत बड़ा भूभाग कट कर मशीन की ओर आ रहा है। लांस नायक ने डोजर को नहीं छोड़ा तथा अपनी सुरक्षा की परवाह न करके वह डोजर को चला कर उसे बचाने का प्रयत्न करने लगे, किन्तु थोड़े ही समय में मशीन तथा वह स्वयं एक भारी भूस्खलन के नीचे दब गए। उनके बचाव की कार्यवाही शीघ्र की गई किन्तु जब तक बचाव दल उस स्थान पर जहां वह दबे हुए थे वहां पहुंचा, उनकी मृत्यु हो गई।

लांस नायक शनमुगा मुदालियर चिदाम्बरम ने भारतीय सेना की उच्चत्तम परम्पराओं के अनुकूल उच्च साहस तथा कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. 1819 बी० जी० हवलदार देहथोंग।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 जून 1963)।

एक कुख्यात सशस्त्र उपद्रवी दल देशभक्त ग्रामीणों को भयभीत कर रहा था। काफी समय से उनके जंगल में छुपने के स्थान का पता न चल सका था। 12 और 13 जून 1963 की रात को हवलदार देहथोंग उनके छुपने के स्थान की सूचना पाकर 25 ग्राम रक्षकों को लेकर आक्रमण करने के लिये चल पड़े। उन्होंने उस स्थान को ढूंढ लिया किन्तु उपद्रवी काफी थे जो एल० एम० जी० स्टेनगन, राइफल्स तथा हथगोलों से लैस थे। हवलदार देहथोंग के दल की संख्या तथा शस्त्र शक्ति बहुत कम थी। इस पर भी उन्होंने उपद्रवियों को घेरने तथा आक्रमण करने का निश्चय किया। उपद्रवियों ने अपने सब शस्त्रों से गोलियां चलाना प्रारम्भ किया परन्तु हवलदार देहथोंग के नेतृत्व में ग्राम रक्षक उनके छुपे हुए स्थान को नष्ट करने में सफल हो गए।

हवलदार देहथोंग ने इस मुठभेड़ में उदाहरणीय साहस तथा नेतृत्व शक्ति का परिचय दिया।

4. ए० एस० आई० विलापली अंगामी।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—1 सितम्बर 1963)।

ए० एस० आई० विलापली अंगामी का उपद्रवियों के विरुद्ध संक्रियाओं में बहुत ही अच्छा रिकार्ड रहा। अगस्त 1959 में उन्होंने एक ग्राम रक्षक दल का, एक कुख्यात उपद्रवी को पकड़ने में, मार्गदर्शन किया और उसे पकड़ लिया। सितम्बर 1963 को उपद्रवियों के एक छिपने के स्थान का पता पाकर वह एक ग्राम रक्षक दल के साथ फौरन उस पर हमला करने के लिये गए। उपद्रवियों के सन्तरी ने गोली चला दी, उस समय ए० एस० आई० विलापली अंगामी अगली टुकड़ी के पीछे थे। उन्होंने यह अनुभव

किया कि दल को इकट्ठा करने में समय लगेगा तथा इतने समय में उपद्रवी भाग जाएंगे। यह अनुमान कर कि अंधेरे में उपद्रवी उनकी शक्ति का अंदाज न कर सकेंगे उन्होंने उनके छिपने के स्थान पर हमला बोल दिया। अचानक तथा भारी हमले के कारण उपद्रवी 5 मृतकों को छोड़ कर भाग गए।

इस कार्यवाही में ए० एस० आई० बिलापली अगामी ने उच्च श्रेणी के साहस, पहल शक्ति तथा नेतृत्व का परिचय दिया।

5. 1563523 सैपर ज्ञान चन्द, कोर आफ इंजीनियर्स, (मरणोपरांत)।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 अक्तूबर 1963)।

17 अक्तूबर 1963 को सैपर ज्ञान चन्द भूटान में एक सड़क के पथरीले भाग को चौड़ा करने के लिये एक भारी डोज़र चला रहे थे। जब एक चट्टान जिस पर मशीन का दाहिना भाग था, अचानक फट गई तथा मशीन फिसलने लगी तो उनके अधिकारी एन० सी० ओ० ने उन्हें कूद पड़ने के लिये आगाह किया किन्तु उन्होंने अपनी जीवन रक्षा के बजाय मशीन को बचाने का प्रयत्न किया। वह सफल न हो सके और मशीन के साथ गिर कर उनकी मृत्यु हो गई।

सैपर ज्ञान चन्द ने भारतीय सेना की उच्चतम परम्पराओं के अनुकूल सराहनीय साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

6. 3817 विलेज गार्ड सूबेदार तांगशीबा मारवती।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—31 अक्तूबर 1963)।

सितम्बर-अक्तूबर 1963 में सूबेदार मारवती ने उन उपद्रवियों के विरुद्ध बहुत-सी कार्यवाहियों में भाग लिया जो तंग घाटियों से युक्त एक दुर्गम और घने पर्वतीय क्षेत्र में खाइयों में छिपे हुए थे।

12 सितम्बर 1963 को सूबेदार मारवती केवल 15 विलेज गार्डों को साथ लेकर और पानी से भरे नालों को पार कर रात भर चलते रहने के बाद एक शिविर से उपद्रवियों को उखाड़ फेंकने में और उनमें से दो को घायल करने और बाकी कीमती सामग्री उपलब्ध करने में सफल हुए।

30 सितम्बर 1963 को उन्होंने स्वयं दो उपद्रवी शिविरों पर आक्रमण किया। पहले शिविर में पकड़े गए कागजात के आधार पर दूसरे शिविर पर प्रहार किया गया। केवल चार सैनिकों को साथ लेकर वह घने कांटेदार पौदों पर से घिसटते हुए उपद्रवियों की स्थिति के 10 गज़ की दूरी पर पहुंचे और वहां से हथगोलों की बौछार कर दी और फिर स्टेन मशीन से गोलियां चलाई। इसमें तीन उपद्रवी मारे गए और कुछ हथियार और उपस्कर भी हाथ आए। सूबेदार मारवती उपद्रवियों के भागने के रास्ते की ओर आगे बढ़े तथा उनमें से पांच को और घायल किया तथा अन्त में उपद्रवियों की स्थिति को तहस-नहस कर डाला।

सूबेदार तांगशीबा मारवती ने उत्कृष्ट वीरता तथा उच्च श्रेणी की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

7. एबल सीमैन तेजा सिंह (ओ० नं० 45047)।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 जनवरी 1964)।

13 जनवरी 1964 को आई० एन० एस० मैसूर के प्रोजेक्शन कमरे में आग लग गई जहां एक नाविक आग की लपेट में आकर बेहोश होकर पड़ा हुआ था। कमरे के अन्दर से बन्द होने के कारण अफसरों तथा नाविकों द्वारा अनेकों प्रयत्न किये जाने पर भी कोई कमरे में नहीं प्रविष्ट हो सका। जब सारी आशाएं टूट गईं तो एबल सीमैन तेजा सिंह ने नाविक को बचाने के लिये अन्तिम प्रयत्न के लिये अपने को अर्पित किया।

अपनी सुरक्षा की चिन्ता न कर एबल सीमैन तेजा सिंह घने धुएं तथा आग की लपटों के मध्य अन्दर घुसे, किवाड़ों को तोड़ा तथा घने अंधकार में बेहोश नाविक की तलाश की। नाविक को ढूंढ कर वह उसे बाहर सुरक्षित स्थान पर लाए। उन्होंने कीमती सामान को भी बचाया तथा अग्नि को आगे बढ़ने से रोका।

इस कार्यवाही में एबल सीमैन तेजा सिंह ने भारतीय नौ-सेना की उच्चतम परम्पराओं के अनुरूप उदाहरणीय वीरता का परिचय दिया।

8. 3351817 सिपाही हरबंस सिंह, 5वीं बटालियन, सिख रेजीमेन्ट (मरणोपरांत)।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—10 फरवरी 1964)।

10 फरवरी 1964 को सिपाही हरबंस सिंह एक राइफल प्लाटून के अग्रगामी स्काउट थे जो कि गत रात उपद्रवियों के एक छिपने के स्थान पर आक्रमण करने के लिये जाने वाली टोली में थी। जब टोली आगे बढ़ रही थी तो जंगल में एक छिपे हुए स्थान से एक उपद्रवी ने उस टोली के स्काउटों पर गोलियां चलाई। सिपाही हरबंस सिंह ने काठी से ही इस स्थिति पर गोलियां चलाई। वह उपद्रवी जख्मी हो गया और अपनी राइफल और गोला-बारूद पीछे छोड़ कर भाग खड़ा हुआ।

बाद में उपद्रवियों के गुप्त स्थानों को ढूंढने में लगी हुई टोली के एक दूसरे सेक्शन पर पास ही से उपद्रवियों की भारी गोलाबारी होने लगी। उपद्रवियों की गोलाबारी को बन्द करने का काम सिपाही हरबंस सिंह की प्लाटून को दिया गया। सिपाही हरबंस सिंह ने एक स्काउट की स्थिति ग्रहण की और उपद्रवियों की लगातार गोलाबारी के बावजूद भी वे घने जंगलों में अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे। एक गोली उन्हें लगी जिसके कारण उनकी टांग जख्मी हो गई, लेकिन फिर भी वे आगे चलते गए। इसके बाद एक उपद्रवी ने लाइट मशीन गन से उन पर गोलियां चलाई तथा छाती पर गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई।

सिपाही हरबंस सिंह ने भारतीय सेना की उच्चतम परम्पराओं के अनुकूल उदाहरणीय साहस और निश्चय का परिचय दिया।

9. श्री अमृत लाल,

पुत्र श्री धुन्नु लाल, प्रस्थल बंगलो, पचमढ़ी।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—1 मार्च 1964)।

पचमढ़ी में एक बंगले के चौकीदार को 1 मार्च 1964 को सन्देह हुआ कि एक कुख्यात फरार अपराधी रात में बंगले के संलग्न भाग में सम्भवतः ठहरा हुआ है। उसको पकड़ने के लिये चौकीदार ने अपने 16 वर्षीय पुत्र अमृत लाल को आदेश दिया कि वह मुख्य इमारत की निगरानी रखे तथा स्वयं तीन अन्य व्यक्तियों के साथ रसोई में स्थान ग्रहण किया। लगभग 8 बजे सायं अंधेरे में श्री अमृत लाल को प्रतीत हुआ जैसे कोई मुख्य इमारत को जाने के लिये सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। उसने अपराधी को ललकारा जो तुरन्त ही एक बड़ा छुरा लेकर उस पर झपटा। श्री अमृत लाल ने उस पर अपनी बल्लम चला दी जिससे उसे गम्भीर घाव आया। अपराधी ने बल्लम छीन कर दूर फेंक दी और श्री अमृत लाल पर आक्रमण कर दिया। श्री अमृत लाल ने शोर मचाया जिससे अपराधी पीछे मुड़ कर भाग गया। बहुत खोज के बाद वह गम्भीर रूप से आहत नाले के पास पड़ा मिला, बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

इस कार्यवाही में श्री अमृत लाल ने उच्च श्रेणी के उदाहरणीय साहस तथा दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है।

10. 140068 नायक अत्र बहादुर राय, असम राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 अप्रैल 1964)।

नायक अत्र बहादुर राय असम राइफल्स बटालियन के एक सैक्शन के कमांडर थे, जिसने 13 और 14 अप्रैल 1964 की रात्रि को एक उपद्रवी के छिपने के स्थान को नष्ट कर दिया था। उपद्रवियों जैसे वस्त्र पहन कर उनका कार्य एक सील मुख्य पंक्ति में आगे बढ़ना था जिससे उपद्रवियों के स्थान पर अचानक आक्रमण किया जा सके। उन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया तथा बड़ा जोखिम उठा कर वह जंगल से होकर शत्रु की प्रेषण चौकी

तक गए । जब उनके जवानों ने लगभग आधे छुपे हुए उपद्रवी पकड़ लिये तो आधे उपद्रवियों ने, जो उच्च भूमि पर थे, जवाबी हमला कर दिया । नायक अवध बहादुर राय की लड़ाकू चेतना के प्रदर्शन के कारण सब जवाबी हमले व्यर्थ कर दिये गए ।

इस कार्यवाही में नायक अवध बहादुर राय ने प्रशंसनीय साहस तथा निश्चय शक्ति का परिचय दिया ।

11. श्री हीरा सिंह ठाकुर,

ग्राम सिमरोदा, पु० स्टे० जोरा, जिला मुरेना, मध्य प्रदेश ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 मई 1964) ।

5 मई की रात्रि को एक डाकू दल मध्य प्रदेश के सिमरोदा ग्राम में घुसा । ग्राम में पहुंच कर डाकू छोटे-छोटे दलों में बंट गए और एक दल जिसमें 5-6 डाकू थे, 55 वर्षीय ठाकुर श्री हीरा सिंह के घर में घुसा । डाकुओं ने हीरा सिंह की पत्नी को चाबियां सौंपने तथा सब नकदी व आभूषण देने के लिये विवश किया । उसने अपने पति तथा पुत्रों को सहायता के लिये पुकारा । श्री हीरा सिंह बाहर आए और डाकुओं से भिड़ गए । श्री हीरा सिंह ने सड़क कूटने का दुरपुट, जो उनके पास पड़ा था, उठा लिया और डाकुओं को पीटना प्रारम्भ कर दिया । दो डाकू मूर्छित हो गए और कुछ को इस मुठ-भेड़ में चोट लगी । डाकुओं ने उनकी पत्नी तथा पुत्रों को गोली मार दी और एक डाकू ने दुरपुट उनके हाथ से छीन लिया । जब उनमें से एक डाकू बन्दूक से उनकी ओर लक्ष्य कर रहा था तब उन्होंने डाकू से बन्दूक छीन ली और उसकी बट से उन्हें पीटने लगे । इस बीच में डाकुओं का दूसरा दल उसी स्थान पर आकर मूर्छित डाकुओं को उठा कर गोली चलाते हुए भागा जिससे दो व्यक्ति मारे गए । यदि श्री हीरा सिंह ने वीरता से लड़ाई न की होती तो डाकुओं ने गांव के बहुत-से घरों को लूट लिया होता ।

इस कार्यवाही में श्री हीरा सिंह ने उदाहरणीय साहस तथा दृढ़ता का परिचय दिया है ।

12. जे० सी० 19079 जमादार किशन लाल, ई० एम० ई० ।

(मरणोपरांत) ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—15 अक्तूबर 1964) ।

अगस्त 1964 में एक तीन टन गाड़ी तीन व्यक्तियों के साथ सिन्धु नदी में गिर गई तथा उसका कोई चिह्न अवशेष न रहा । जमादार किशन लाल ने गाड़ी खोजने के लिये दृढ़ प्रयत्न किये किन्तु असफल रहे । अक्तूबर में जब जल घट गया तो गाड़ी का कुछ भाग दिखाई पड़ा । जमादार किशन लाल ने काम चलाऊ बेड़े की सहायता से उस गाड़ी को तथा 3 व्यक्तियों के शवों को खोजने का प्रयत्न किया । बड़ी कुशलता से वह हल्के बेड़े पर नदी की तीव्र धारा में से उस स्थान पर पहुंचने में सफल हो गए । तीन बार बर्फ जैसे ठंडे पानी में झुक कर उन्होंने गाड़ी को भिन्न-भिन्न स्थानों पर पकड़ने की चेष्टा की और अन्त में वह गाड़ी को पकड़ने में सफल हो गए । किन्तु जब वह गाड़ी को हटा रहे थे तो उनका बेड़ा उल्ट गया और वह नदी की तेज़ धार में गिर कर बह गए । वह इस प्रकार के खतरे एवं कठिन कार्य करने में अपने साथियों के लिये सदा प्रेरणा के स्रोत थे ।

जमादार किशन लाल ने भारतीय सेना की उच्चत्तम परम्पराओं के अनुरूप उदाहरणीय साहस, निश्चय शक्ति और निःस्वार्थ कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

वाई० डी० गंडेविया, राष्ट्रपति के सचिव

योजना आयोग

संकल्प

समाज कल्याण से सम्बन्धित पैनल

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1965

सं० यो० आ०/स० क०/17(14)/64—योजना आयोग ने संकल्प संख्या यो० आ०/स० क०/17(14)/64 दिनांक 17 अक्तूबर, 1964 में गठित समाज कल्याण से सम्बन्धित पैनल का पुनर्गठन कर दिया है । यह पैनल समाज कल्याण से सम्बन्धित क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग को भावी कार्यक्रमों पर सलाह देगा ।

2. पुनर्गठित पैनल निम्न प्रकार से होगा :

1.	श्री तरलोक सिंह, सदस्य, योजना आयोग	अध्यक्ष
2.	श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, अवैतनिक निदेशक, समाज विकास परिषद्, नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	श्रीमती अचम्मा जे० मथाई, अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।	सदस्य
4.	स्वामी रंगनाथानन्द, रामकृष्ण मिशन, कलकत्ता ।	सदस्य
5.	डा० जे० एफ० बुलसारा, सदस्य, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, बम्बई ।	सदस्य
6.	श्रीमती श्याम कुमारी रवान, संसद् सदस्य, नई दिल्ली ।	सदस्य
7.	श्री वी० सी० केशवराव, संसद् सदस्य, नई दिल्ली ।	सदस्य
8.	डा० वी० जगनाथम्, प्राचार्य, समाज प्रशासन, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य
9.	श्री सुगता दास गुप्त, संयुक्त निदेशक, गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी	सदस्य
10.	श्रीमती रक्षा सरन, अध्यक्ष, महिला शिक्षा, राष्ट्रीय परिषद्, नई दिल्ली ।	सदस्य
11.	श्रीमती इंदिरा बाई जोशी, अवैतनिक मंत्री, बाल सहायता समिति, बम्बई ।	सदस्य
12.	श्रीमती मैरी क्लबवाला जादव, प्रधान, भारतीय समाज कार्य सम्मेलन, मद्रास ।	सदस्य
13.	श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, प्रधान, अखिल भारतीय अपराध निवारण समिति, कानपुर ।	सदस्य
14.	डा० एम० एस० गोरे, प्रधान, समाज कार्य विद्यालयों का संघ, बम्बई ।	सदस्य
15.	प्रो० राजाराम शास्त्री, संकाय-अध्यक्ष, समाज विज्ञान संस्थान, वाराणसी ।	सदस्य

16. श्री टी० रामचन्द्रा, सदस्य
महामंत्री,
भारत सेवक समाज,
नई दिल्ली ।

17. श्री एल० सी० जैन, सदस्य
महा मंत्री,
ग्रामीण विकास के ऐच्छिक अभिकरणों का संघ,
नई दिल्ली ।

18. श्री एस० एच० पाठक, सदस्य
भारतीय प्रशिक्षित समाजिक कार्यकर्त्ता संघ,
नई दिल्ली ।

19. श्री के० एल० बोडिया, सदस्य
निदेशक,
विद्याभवन ग्रामीण संस्थान,
उदयपुर ।

20. श्रीमती वी० राजलक्ष्मी, सदस्य
मंत्री,
कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि,
इन्दौर ।

21. श्रीमती शकुन्तला लाल, सदस्य
अवैतनिक महामंत्री,
नैतिक व सामाजिक आरोग्य संघ,
नई दिल्ली ।

22. श्री एम० जी० धर्मराज, सदस्य
महा मंत्री,
भारत की वाई० एम० सी० ए० की राष्ट्रीय परिषद्,
नई दिल्ली ।

23. कुमारी आई० वी० खान, सदस्य
महा मंत्री,
वाई० डब्ल्यू० सी० ए० की राष्ट्रीय परिषद्,
नई दिल्ली ।

24. श्री राधारमण, सदस्य
प्रधान,
शिशु कल्याण, भारतीय परिषद्
नई दिल्ली ।

25. श्री नौहरिया राम, सदस्य
उप सलाहकार, शिक्षा, समाज सुरक्षा विभाग,
नई दिल्ली ।

26. श्री एम० वाई० गोडबोले, सदस्य
आयुक्त, पंचायती राज,
सामुदायिक विकास एवं सहकार मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

27. श्री पी० डी० कुलकर्णी, सदस्य-सचिव
सहायक-प्रमुख,
योजना आयोग ।

3. पैनल अपने अध्ययन के लिए समितियां गठित कर सकता है और सदस्यों को सहयोजित कर सकता है ।

4. पूरे पैनल या उसकी समितियों की बैठकें अध्यक्ष के निर्णयानुसार नई दिल्ली या अन्य स्थानों पर समय-समय पर हो सकती हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाय तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित कर दिया जाय ।

पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित पैनल

सं० यो० आ०/स० क०/17(15)/64—योजना आयोग ने संकल्प संख्या यो० आ०/स० क०/17(15)/64 दिनांक 17 अक्तूबर 1964 में गठित पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित पैनल का पुनर्गठन कर दिया है । यह पैनल पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग को भावी कार्यक्रमों पर सलाह देगा ।

पुनर्गठित पैनल निम्न प्रकार से होगा :—

1. श्री तरलोक सिंह, सदस्य, योजना आयोग अध्यक्ष
2. स्वामी रंगनाथानंद, रामकृष्ण मिशन, कलकत्ता । सदस्य
3. श्री अनिल के० चंदा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त, नई दिल्ली । सदस्य
4. प्रो० वी० एच० मेहता, (निदेशक गोडवाना आदिम जाति) अनुसंधान संस्था, टाटा समाज विज्ञान संस्था, बम्बई । सदस्य
5. एम० अब्दुल कादिर, रोजगार प्रशिक्षण के महा निदेशक, नई दिल्ली । सदस्य
6. डा० बी० एस० हैकरवाल, अपराध-विज्ञान और दण्डशास्त्र के प्रोफेसर, काशी विद्यापीठ, वाराणसी । सदस्य
7. श्री शिवमूर्ति स्वामी, संसद् सदस्य, नई दिल्ली । सदस्य
8. श्री एम० जी० उइके, संसद् सदस्य, नई दिल्ली । सदस्य
9. श्री राम धनी दास, संसद् सदस्य, नई दिल्ली । सदस्य
10. श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा, संसद् सदस्य, नई दिल्ली । सदस्य
11. श्री पी० एन० राजभोज, अध्यक्ष, भारत दलित सेवक संघ, पूना । सदस्य
12. प्रो० एम० एन० श्रीमनिवास, अध्यक्ष, समाज शा विभाग, दिल्ली वि विद्यालय, दिल्ली । सदस्य
13. श्री ए० के० करन, सदस्य-सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई । सदस्य
14. श्री ए० डब्ल्यू० सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, ग्राम उद्योग योजना समिति, योजना आयोग । सदस्य
15. श्री जीवनलाल जैरामदास, मंत्रिव, हरिजन सेवक संघ, दिल्ली । सदस्य

16. श्री डाह्या भाई नायक, संसद् सदस्य, सदस्य
महा सचिव,
भारतीय आदिम जाति सेवक संघ
नई दिल्ली ।

17. श्री धर्मदेव शास्त्री, अवैतनिक सचिव, सदस्य
भारतीय आदिम जाति सेवक संघ,
नई दिल्ली ।

18. श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, सदस्य
प्रधान,
अखिल भारतीय अपराध निवारण समिति,
कानपुर ।

19. श्री एल० एम० श्रीकान्त, सदस्य
महा मंत्री,
गांधी स्मारक निधि,
वाराणसी ।

20. श्री राधाकृष्ण, सदस्य
महा मंत्री,
सर्व सेवा संघ,
वाराणसी ।

21. श्री माणिक्यलाल वर्मा, संसद् सदस्य, सदस्य
महा मंत्री,
भारती घुमान्तु जन सेवक संघ,
नई दिल्ली ।

22. डा० पी० डी० शुक्ल, सदस्य
संयुक्त सलाहकार, शिक्षा,
शिक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

23. श्री एम० पी० भार्गव, सदस्य
आयुक्त (सहकारिता)
सामुदायिक विकास और सहकारिता
मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

24. श्री एम० वाई० गोडबोले, सदस्य
आयुक्त (पंचायती राज)
सामुदायिक विकास और सहकारिता
मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

25. श्री जयपालसिंह, संसद् सदस्य, सदस्य
प्रधान, अखिल भारतीय आदिवासी
महासभा,
नई दिल्ली ।

26. श्री एस० एम० सिद्दीया, संसद् सदस्य, सदस्य
हरिजन कल्याण,
केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड
नई दिल्ली ।

27. श्री रिणांग किंगिंग, संसद् सदस्य, सदस्य
आदिम जाति कल्याण,
केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड,
नई दिल्ली ।

28. श्री एस० पी० सेनगुप्त, सदस्य
संयुक्त सचिव,
समाज शिक्षा विभाग,
नई दिल्ली ।

29. श्री पी० डी० कुलकर्णी, सदस्य-सचिव
सहायक प्रमुख,
योजना आयोग ।

2. पैनल अपने अध्ययन के लिए समितियां गठित कर सकता है और सदस्यों को सहयोजित कर सकता है ।

3. पूरे पैनल या उसकी समितियों की बैठकें अध्यक्ष के निर्णयानुसार नई दिल्ली या अन्य स्थानों पर समय-समय पर हो सकती हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाय तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाय ।

एम० दत्त, संयुक्त सचिव

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्रालय

संकल्प

सीमाशुल्क टैरिफ

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1964

सं० 10(8)/63-गाट—भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ का वर्तमान ढांचा, अपने विस्तृत स्वरूप में, राष्ट्र संघ सीमा शुल्क अभिधान मसौदे का अनुसरण करता है जो कि 1927 में स्थापित राष्ट्र संघ की आर्थिक समिति के विशेषज्ञों की उप-समिति द्वारा तैयार किया गया था । युद्धोत्तर अवधि में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बदले हुए स्वरूप के अनुकूल, उत्पादों का नया वर्गीकरण तथा अभिधान किया गया है । उन में से एक है "ब्रूसेल्स टैरिफ अभिधान" जिसे योरोपीय सीमा शुल्क संघ अध्ययन दल, 1955 ने तैयार किया था और जिसका दावा है कि उसने दल में सम्मिलित सत्तरह योरोपीय देशों के टैरिफ अभिधान के सामान्य लक्षणों और नवीनतम प्राविधिक तथा वाणिज्यिक विकासों को भी ध्यान में रखा है । एक और है "प्रतिमानित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण" जो राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ों को समान आधार पर एकत्रित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार किया गया है ।

2. एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के परिपालन में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में पर्याप्त प्रगति हुई जिससे भारत के विदेशी व्यापार के ढांचे तथा स्वरूप में काफी परिवर्तन हो गया है । इसलिए भारत सरकार तथा व्यापारी समुदाय दोनों ने ही वर्तमान टैरिफ के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की है जिससे उसमें आधुनिक ढंग पर और इस रीति से परिवर्तन किया जा सके जो भारत के विदेशी व्यापार के स्वरूप तथा ढांचे को ध्यान में रखते हुए अधिक उपयुक्त हो ।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित विभिन्न आयोगों तथा समितियों द्वारा जिनमें हाल ही में स्थापित श्री ए० रामास्वामी मुदालियार समिति भी है, प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में भी भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ का पूर्णतः सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है । तदनुसार भारत सरकार ने भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ ढांचे की व्यापक जांच करने तथा ऐसे उपायों की जिनसे उसमें परिवर्तन और सुधार किया जा सके सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है ।

3. समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :—

(1) संयुक्त सचिव जिसका नामनिर्देशन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय द्वारा किया जायेगा ।

(2) एक आफिसर सदस्य जिसका नामनिर्देशन वित्त-मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा किया जायेगा ।

(3) एक आफिसर जिसका नामनिर्देशन प्राविधिक विकास विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(4) एक आफिसर जिसका नामनिर्देशन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जायेगा ।

(5) एक आफिसर जिसका नामनिर्देशन लोहा और इस्पात विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(6) एक आफिसर जिसका नामनिर्देशन खान और धातु विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(7) एक आफिसर जिसका नामनिर्देशन पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा किया जायेगा ।

(8) टैरिफ आयोग, बम्बई का एक प्रतिनिधि ।

(9) एक आफिसर जिसका नामनिदशन महानियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा किया जायेगा ।

(10) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डलों के फेडरेशन का एक प्रतिनिधि ।

(11) अखिल भारतीय विनिर्माता संघ, बम्बई का एक प्रतिनिधि ।

(12) अखिल भारतीय आयातक संगम, बम्बई का एक प्रतिनिधि ।

(13) अखिल भारतीय निर्यातक मण्डल, बम्बई का एक प्रतिनिधि ।

(14) एक संयुक्त निदेशक, निर्यात प्रोत्साहन, जिसका नामनिर्देशन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय द्वारा किया जायेगा ।

सदस्य सचिव

(15) एक ज्येष्ठ आफीसर जिस का नामनिर्देशन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा किया जायेगा ।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ (आयात और निर्यात) अनुसूची की वर्तमान संरचना की भारत के आयात और निर्यात व्यापार के स्वरूप और उत्पादों के गठन के प्रति निर्देश से जांच करना,

(2) मद (1) के अधीन की गई जांच के प्रकाश में और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों और व्यापार के बदले हुए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, यह सिफारिश करना कि आयात टैरिफ अनुसूची ब्रूसेल्स टैरिफ अभिधान पर या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिधान पर आधारित या आवश्यक सुधार के पश्चात् भारत की अपनी पृथक् आयात टैरिफ अनुसूची बनी रहे,

(3) उन उपायों के बारे में जिन से सीमाशुल्क टैरिफ अनुसूची में परिवर्तन होना चाहिये, विशेषकर—

(क) अभिनव विकास की और वाणिज्यिक महत्व की चीजों के लिए अतिरिक्त टैरिफ मदों के बनाने,

(ख) व्यापार के बदले हुए स्वरूप के संदर्भ में मशीन, लोहे और इस्पात और वस्त्रों के वर्गीकरण के पुनरीक्षण,

(ग) चीजों के भागों के निर्धारण के लिए उपबन्ध करने की आवश्यकता के प्रति निर्देश से भारत सरकार को सलाह देना

(4) निर्यात टैरिफ अनुसूची के अभिधान और वर्गीकरणों में यथोचित संशोधनों की सिफारिश करना,

(5) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934, टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1949 तथा अन्य सुसंगत विधानों के सारभूत उपबन्धों का पुनर्विलोकन करना और तन्निमित्त अपेक्षित उपान्तरणों या संशोधनों की सिफारिश करना,

(6) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जो जांच के उद्देश्य के लिए संगत प्रतीत हों ।

5. समिति से इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अलग-अलग उत्पादों या विभिन्न वर्ग के उत्पादों पर लागू शुल्क दरों के प्रश्न पर विचार करे और सीमा शुल्क टैरिफ के अधीन लागू शुल्क के स्तर के साथ उसका कोई सम्पर्क न होगा ।

6. समिति ऐसे सदस्य सहयोजित कर सकेगी जिनकी समय-समय पर आवश्यकता पड़े ।

7. समिति भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर देगी ।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया गया कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

सी० एस० रामचंद्रन, संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

सीमाशुल्क टैरिफ

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 1964

सं० 10(8)/63-गाट—समय-समय पर यथा-संशोधित भारत सरकार संकल्प सं० 10(8)/63-गाट तारीख 17 मार्च, 1964 के आंशिक उपान्तरण में उस के पैरा 3 के स्थान में निम्नलिखित रखा जायेगा :—

3. समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(1) श्री एस० सुब्रमण्यन, भारतीय सांख्यिकी सेवा ।	सभापति
(2) श्री पी० चन्नमाल राव, सचिव ।	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डलों का फेडरेशन, नई दिल्ली ।
(3) श्री आर० बी० लेडेन, मैसर्स बोल्टाज लि०, बम्बई ।	सहयुक्त वाणिज्य मण्डल, कलकत्ता ।
(4) श्री वाई० ए० फजलभाई, मैसर्स जेनरल रेडियो एण्ड ऐप्लाएंसेज लि०, बम्बई ।	अखिल भारतीय विनिर्माता संघ, बम्बई ।
(5) श्री गुलाब चंद जी० सिराज, अध्यक्ष ।	अखिल भारतीय निर्यातक मण्डल, बम्बई ।
(6) श्री आर० सी० शाह, अध्यक्ष ।	अखिल भारतीय आयातक संगम, बम्बई ।
(7) श्री एम० पंचप्पा, उप सचिव	वित्त मंत्रालय (राजस्व और कम्पनी विधि विभाग) नई दिल्ली ।
(8) डा० बी० डी० कालेलकर, उप महानिदेशक (इंजीनियरिंग) ।	उद्योग और संभरण मंत्रालय (महानिदेशालय प्राविधिक विकास) नई दिल्ली ।
(9) श्री सी० बालासुब्रह्मण्यम, उप सचिव ।	उद्योग और संभरण मंत्रालय (उद्योग विभाग) नई दिल्ली ।
(10) श्री एस० सी० मुकर्जी, लोहा और इस्पात नियंत्रक कलकत्ता ।	इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात और खान विभाग), नई दिल्ली ।

(11)	श्री एस० पी० गुगनानी, उप सचिव ।	इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात और धातु विभाग), नई दिल्ली ।
(12)	श्री एस० डी० भमब्री, उप सचिव ।	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
(13)	श्री सी० आर० कृष्णास्वामी राव साहेब, संयुक्त निदेशक ।	वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात प्रोत्साहन संगठन), नई दिल्ली ।
(14)	श्री बी० ए० पद्मनाभन, उपनिदेशक (गाट) ।	वाणिज्य मंत्रालय, गाट अनुभाग, नई दिल्ली ।
(15)	डा० पी० के० मुखर्जी, आर्थिक और सांख्यिकी उप-सलाहकार ।	खाद्य और कृषि मंत्रालय नई दिल्ली ।
(16)	डा० पी० बी० गुनिशास्त्री, निदेशक (पुनर्विलोकन और गवेषणा) ।	टैरिफ आयोग, बम्बई
(17)	श्री के० एल० सक्सेना, निदेशक, सांख्यिकी ।	मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात कर कार्यालय, नई दिल्ली ।
(18)	(नामनिर्देशन होना है)	वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी विभाग कलकत्ता ।
(19)	श्री एम० वेंकटेसन, भारतीय राजस्व सेवा ।	सदस्य सचिव

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को भेजी जाये और यह कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

संशोधन

दिनांक 4 जनवरी 1965

सं० 10(8)/63-गाट०—27 अगस्त, 1964 के सरकारी संकल्प द्वारा यथा उपान्तरित भारत सरकार संकल्प सं० 10(8)/63 गाट तारीख 17 मार्च, 1964 की कण्डिका 3 में उसकी मद (13) के स्थान में निम्नलिखित रखा जायेगा :—

(13)	श्री जे० बनर्जी, निदेशक	वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात प्रोत्साहन संगठन नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को भेजी जाये और यह कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

डा० एन० बनर्जी, संयुक्त सचिव

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय

(उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1965

सं० 3-102/64-एम० ई० आई०—उद्योग तथा संभरण मंत्रालय के संकल्प सं० 3-102/64-एम० ई० आई०, तारीख 9 फरवरी 1965 के सन्दर्भ में जिसमें सीमेंट मशीन उद्योग की कुछ समस्याओं की जांच करने के लिये एक तकनीकी समिति गठित करने का उल्लेख किया गया था ।

2. इस समिति का अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है इस कारण वह निश्चित तारीख अर्थात् 15 मार्च 1965 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है । अतः उसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये दिया गया समय बढ़ाकर 15 अप्रैल 1965 तक कर दिया गया है ।

पि० जे० मेनन्, अवर सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 1965

सं० 2-15-64-सीमेंट 1—भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संकल्प सं० सीमें० 1(31)/61, तारीख 21-10-1961 में आंशिक रूपभेद करते हुए भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग की नामिका का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है । नयी नामिका का कार्यकाल इस संकल्प की तारीख से दो वर्षों का होगा तथा इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1. डा० जी० पी० काणे, उप-निदेशक सामान्य (रसायन), तकनीकी विकास का महा-निदेशालय, नई दिल्ली ।

सदस्य सचिव

2. डा० एस० पी० वर्मा, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महा-निदेशालय, नई दिल्ली ?

सदस्य

3. श्री जी० एस० स्याल, सीमेंट वितरण के प्रभारी-निदेशक, राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली ।
4. श्री रविन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय इमारत संगठन, निर्माण तथा आवास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
5. श्री एस० के० चोपडा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय इमारत अनुसंधान संस्था, रुड़की (उ० प्र०) ।
6. डा० आर० आर० हतिगदी, प्रबन्ध निदेशक, एसोशियेटड कं० लि० 121, क्वीन्स रोड, बम्बई ।
7. श्री जी० आर० टोंगावकर, उप प्रबन्ध निदेशक, ए० सी० सी० वाइर्क्स लि० 16, क्वीन्स रोड, बम्बई ।
8. श्री वी० पोदार, निर्माण निदेशक मेसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर (बिहार) ।
9. श्री के० एम० नारायणन, निदेशक, इण्डिया सीमेंट लि० घुन बिल्डिंग, 175/1 माउन्ट रोड, मद्रास ।
10. श्री वी० रामकृष्ण, चेयेरमैन, मे० के० सी० पी० लि० रामकृष्ण बिल्डिंग 38, माउन्ट रोड, मद्रास-6 ।
11. श्री जे० आर० बिड़ला, प्रेसीडेण्ट, बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० (सीमेंट डिवीजन), 15 इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1 ।
12. श्री वी० एन० पाई, मैनेजर, ए० सी० सी० रिसर्च स्टेशन, आगरा रोड थाना (महाराष्ट्र) ।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाये तथा जन-साधारण की सूचना के लिये इसे भारत के गजट में भी प्रकाशित कराया जाये ।

आर० नटराजन, अवर सचिव

खाद्य और कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

प्रस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 1965

सं० 13-49/64-एल० डी०—भारत सरकार ने वैज्ञानिकों का एक पैनल तैयार करने का निर्णय किया है जोकि उन्हें पशुपालन के क्षेत्र में आने वाले तथा खाद्य और कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) द्वारा प्रशासित विभिन्न विषयों में परामर्श देगा ।

संरचना

पैनल की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1. डा० पी० भट्टाचार्य,
   पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार,
   नई दिल्ली ।
2. डा० के० के० ईया,
   डेरी विकास सलाहकार,
   खाद्य और कृषि मन्त्रालय,
   नई दिल्ली ।
3. डा० एम० आर० ढान्डा,
   निदेशक, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान,
   इज्जतनगर ।
4. डा० एस० भट्टाचार्य,
   दुग्ध उप आयुक्त तथा कार्यभारी पशुधन अनुसन्धान केन्द्र,
   हरिणघाटा फार्म,
   कलकत्ता ।
5. डा० डी० सुन्दरेसन,
   पशु जनन-विज्ञानी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
   लुधियाना ।
6. डा० एस० एन० रे,
   कार्यभारी, पूर्वी केन्द्रीय क्षेत्र,
   राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, कलकत्ता ।
7. प्रोफेसर जेम्स एन० वार्नर,
   प्रमुख, डेरी तकनौलोजी विभाग,
   इलाहाबाद कृषि संस्थान,
   नैनी, इलाहाबाद ।
8. डा० मधुकर शाह,
   प्रबन्धक (डेरी प्रबन्ध),
   कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड,
   आनन्द ।
9. श्री एन० आर० जोशी,
   भूतपूर्व पशु प्रजनन विशेषज्ञ, खाद्य एवं कृषि संगठन,
   23, केसरबाग कालोनी, रेस कोर्स रोड,
   ग्वालियर-2 ।
10. श्री जी० सी० जुनेजा,
    निदेशक पशुपालन, मध्य प्रदेश,
    भोपाल ।
11. डा० सी० कृष्ण राव,
    निदेशक पशुपालन, आसाम,
    गौहाटी ।

कार्यविधि के नियम

पैनल की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी और यह पैनल खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा भेजे गये विषयों पर परामर्श देगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों तथा विभागों, समस्त राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों, योजना आयोग, मन्त्रि-मण्डल सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक-सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक, संसद् पुस्तकालय (5 प्रतियां), पशुपालन वैज्ञानिकों के पैनल के समस्त सदस्यों, समस्त राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के कृषि तथा पशुपालन निदेशक, खाद्य और कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के समस्त संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रस्ताव को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाये ।

प्रस्ताव

दिनांक 26 मार्च 1965

सं० 6-10/65-सामान्य (2)—भारत सरकार ने निश्चय किया है कि इस मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित दिनांक 24 सितम्बर, 1964 कर प्रस्ताव संख्या 6-34/64-सी० जी० के अन्तर्गत श्री ए० एल० फ्लेचर वित्तीय आयुक्त (राजस्व) पंजाब सरकार के स्थान पर श्री आर० एस० रन्धावा, पंजाब सरकार के कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास आयुक्त, कृषि प्रशासन विशेषज्ञों के पैनल के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों और विभागों, समस्त राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, संसद् पुस्तकालय (5 प्रतियां), पैनेल के समस्त सदस्यों, समस्त राज्यों और संघ क्षेत्रों के कृषि और पशु-पालन निदेशकों, खाद्य और कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के अन्तर्गत समस्त सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जायें ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव को सर्व-साधारण की जानकारी के लिये भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

ग० रा० कामत, सचिव

परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1965

सं० 17-पी० जी० (53)/64—भारत सरकार के संस्ताव संख्या 17-पी० जी० (53)/64 दिनांक 12 फरवरी, 1965 के पैरा 1-वित्तीय परिणाम (क) पत्तन निधि, में '184.68' **के स्थान में** '183.38' **पढ़िए** ।

आर० रंगराजन, अवर सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 1965

सं० डी० डब्ल्यू० 2-32(4)/64—नर्मदा जल स्रोतों के इष्टतम और समैकित विकास की खातिर मास्टर प्लान तैयार करने के लिये जो समिति इस मंत्रालय के संकल्प सं० डी० डब्ल्यू० 2-32/4/64, तिथि 5-9-64 के अधीन स्थापित की गई थी, उसकी अवधि एतद् द्वारा बढ़ाकर 30-4-65 तक कर दी गई है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति, जो इस से सम्बन्ध रखते हैं, सभी के पास भेज दी जायें ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को साधारण सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

दिनांक 17 फरवरी 1965

सं० डी० डब्ल्यू० 5-536 (16)/64—इस मंत्रालय के संकल्प सं० डी० डब्ल्यू० 5-536 (16)/64 दिनांक 30 अक्तूबर 1964 के भाग 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :—

वर्तमान पद संख्या (5) को निम्नलिखित द्वारा बदल दिया जाए :—

"निदेशक, बाढ़ नियन्त्रण, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, नई दिल्ली"।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को, प्रधानमंत्री के सचिवालय को, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव को, लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय को, संसद् कार्य विभाग को तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को तथा योजना कमीशन को उनकी सूचना के लिये भेज दिया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाए और कि पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे साधारण सूचनार्थ उसे राज्य के गजट में प्रकाशित कर दें।

के० जी० आर० अय्यर, संयुक्त सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1965

सं० 55(42)/63-श्र० सं० 4—राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद) बम्बई के अधिनिर्णय के अतिकाल-भत्ते के संदाय से सम्बद्ध उपबन्धों का ठीक-ठीक निर्वचन चाहने के लिए भारत सरकार के श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के सं० का० आ० 801 तारीख 27 फरवरी, 1964 के आदेश द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 36-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई को निर्दिष्ट किए गये मामले में उसका निम्नलिखित विनिश्चय एतद् द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

(विनिश्चय)

ओम प्रकाश तलवाड़, अवर सचिव

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण मुम्बई के समक्ष, निदेश सं० केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, 1964 का 38

कुछ बैंककारी कम्पनियां

और

उनके कर्मकार

उपस्थित

श्री सलीम एम० मर्चेंट

पीठासीन आफिसर

उपसंजात हुए

स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य नियोजक बैंकों की ओर से : मेसर्स क्राफोर्ड बेली एण्ड कम्पनी के सालिसिटर श्री आर० सेतलूर और लेबर सेक्रेटरियेट आफ बैंक्स इन इंडिया के सचिव तथा विधि सलाहकार श्री एन आर० पंडित।

कर्मकारों की ओर से : आल इंडिया बैंक एम्प्लाईज एसोसियेशन की ओर से श्री के० के० मंडल, उप प्रधान, और श्री वी० एम० चिटणिस, केन्द्रीय समिति सदस्य। स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन की ओर से श्री एच० के० सोवानी, अधिवक्ता।

आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज फेडरेशन की ओर से श्री सी० एल० दूमिया, प्रधान और श्री ओ० पी० निगम, संयुक्त सचिव, एम० आर० सूद, कार्यालय सचिव, श्री एन० पी० देसाई, उप प्रधान, श्री एम० बी० घोटणकर, संयुक्त सचिव, श्री जी० के० अवस्थे सदस्य कार्यपालिका समिति, श्री के० ए० पांड्या, श्री बी० एच० देसाई।

श्री एम० राजगोपाल, महा सचिव आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्प्लायीज फेडरेशन।

उद्योग : बैंककारी **राज्य : समस्त भारत**

विनिश्चय

मुम्बई, दिनांक 30 जनवरी 1965

केन्द्रीय सरकार ने, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 36 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के आदेश सं० 55(42)/63 श्र० सं० iv, तारीख 27 फरवरी, 1964 द्वारा मुझे एक कठिनाई अथवा शंका निर्वचनार्थ निर्दिष्ट की है जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (II) तारीख 30 जून, 1962 में का० आ० सं० 2028 के अधीन प्रकाशित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद) मुम्बई के अधिनिर्णय के निर्वचन के सम्बन्ध में उद्भूत हुई है। वह प्रश्न जिसके निर्वचन के सम्बन्ध में कठिनाई या शंका उद्भूत हुई है उक्त आदेश के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो निम्नलिखित शब्दों में है :—

अनुसूची

"क्या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद) के अधिनिर्णय के पैरा 19.14 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, बैंक कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 1962 से 31 जुलाई, 1962 तक की कालावधि के लिए अतिकाल भत्ते की संगणना उन के द्वारा उस कालावधि के दौरान वस्तुतः ली गयी उपलब्धियों, अर्थात् राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा यथाधिनिर्णीत वेतन-मानों के आधार पर की जानी चाहिए अथवा उक्त अधिनिर्णय के प्रवृत्त किए जाने से पूर्व उन के द्वारा ली गयी उपलब्धियों के आधार पर की जानी चाहिए।

2. निर्देश किए जाने के पश्चात् पक्षकारों को सामान्य नोटिस दिये गये और दावों के लिखित कथन, (1) आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज एसोसियेशन, (2) स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा नियोजित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली आल इंडिया बैंक आफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन, (3) कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली आल इंडिया बैंक एम्पलायीज फेडरेशन, तथा बैंकों की ओर से (1) स्टेट बैंक आफ इंडिया (2) लेबर सेक्रेटरियेट आफ बैंक्स इन इंडिया से प्राप्त हुए, जिसके पश्चात् मैंने 27-1-1965 को पक्षकारों के निवेदन सुने।

3. निर्देश राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद) के अधिनिर्णय के (जिसे एतस्मिन्पश्चात् देसाई अधिनिर्णय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पैरा 19.14 के निर्वचन की अपेक्षा करता है। पैरा 19.14 निम्नलिखित शब्दों में है :—

"19.14 अन्य सभी मामलों की बाबत, यह अधिनिर्णय उस तारीख को प्रवृत्त होगा जब कि अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17-क के उपबन्धों के अधीन प्रवर्तनीय हो जाये। उन सभी मामलों के बारे में जिन की बाबत यह अधिनिर्णय उस तारीख से प्रवृत्त होगा जब यह यथापूर्वोक्तरूप प्रवर्तनीय हो जाये, इस में अन्तर्विष्ट

किसी बात के होते हुए भी, सभी वर्तमान उपबन्ध तब तक प्रवृत्त होते रहेंगे जब तक कि यह अधिनिर्णय ऐसे सभी मामलों की बाबत प्रवृत्त नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ, अतिकाल भत्ते की संगणना और संदाय के प्रयोजन के लिए, वर्तमान उपबन्ध 1 जनवरी, 1962 से लेकर उस तारीख तक जब कि अधिनिर्णय धारा 17-क के उपबन्धों के अधीन प्रवर्तनीय हो जाये, इस बात के होते हुए भी, कि इस बीच नये वेतन-मान, महंगाई भत्ता आदि प्रवृत्त हो गये है, लागू होते रहेंगे।"

4. इस से पूर्व कि मैं पक्षकारों के निवेदनों के मामलों को लूं यह कहना आवश्यक है कि उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट किए गए वाद-विषयों में, वाद-विषय सं० 8 "काम के घंटे और अतिकाल" से सम्बद्ध था। यह स्वीकृत है कि काम के घंटों और अतिकाल की बाबत देसाई अधिनिर्णय द्वारा कोई भूतलक्षी प्रभाव मंजूर नहीं किया गया था।

5. फिर भी यह स्वीकृत है कि देसाई अधिनिर्णय ने नये वेतन-मान और महंगाई भत्ते नियत किए जो कि अधिनिर्णय में अन्तर्विष्ट निदेशों के अधीन 1-1-1962 से प्रवृत्त हुए। देसाई अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17-क के अधीन अगस्त, 1962 में प्रवर्तनीय हुआ अधिनिर्णय के पैरा 19.13 में निम्नलिखित छः वाद-विषयों का वर्णन है जिन पर अधिनिर्णय मे के निदेश 1-1-1962 से प्रवृत्त होने थे :—

(i) बैंकों और क्षेत्रों का प्रवर्गीकरण,
(ii) वेतनमान,
(iii) वेतनमानों में समायोजन की पद्धति,
(iv) महंगाई भत्ता,
(v) विशेष भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्थानापन्न भत्ता, पहाड़-भत्ता, और ईंधन भत्ता,
(vi) भविष्य निधि, पेंशन और उपदान।

यह अवधेय है कि अतिकाल उस अन्य मामलों में से एक था जिन पर अधिनियम के पैरा 19.14 के अधीन बरता गया है।

6. आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज एसोसियेशन के उप प्रधान श्री के० के० मंडल ने निवेदन किया है कि अधिनिर्णय के पैरा 19.14 के अधीन जो निदेश दिया गया है वह यह है कि अतिकाल की संगणना और संदाय के प्रयोजन के लिए, वर्तमान उपबंध, अर्थात् शास्त्री अधिनिर्णय के उपबन्ध, 1-1-1962 से लेकर तब तक लागू होते रहेंगे जब तक देसाई अधिनिर्णय 1-8-62 को प्रवर्तनीय नहीं हो जाता। किन्तु वेतन और महंगाई भत्ते की प्रमात्रा, जिन पर अतिकाल की संगणना और संदाय किया जाना था, वेतन और महंगाई के वे नये वेतनमान थे जो देसाई अधिनिर्णय द्वारा विहित किए गए हैं और जो, जैसा कि पहले कहा गया है, अधिनिर्णय के पैरा 19.13 में निदिष्ट रूप में 1-1-1962 से प्रवृत्त हो गये थे। उन्होंने निवेदन किया है कि यह निर्वचन तर्क-संगत है क्योंकि काम के घंटों और अतिकाल के प्रश्न पर पैरा 10.1 में बरता गया है और अतिकाल पर सामान्य निदेश देसाई अधिनिर्णय के पैरा 10.21 में दिये गये हैं। उन्होंने देसाई अधिनिर्णय के पैरा 10.40 की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जिस में संगणना की पद्धति का वर्णन किया गया है और जो विशिष्ट उपबन्ध के रूप में देसाई अधिनिर्णय के पैरा 10.46 (15) में दी गयी है जो निम्नलिखित शब्दों में है :—

"अतिकाल कार्य के लिए संदेय रकम संगणित करने के प्रयोजन के लिए, हर महीना 150 कार्य-घंटों का माना जायेगा जिससे कि सभी कर्मकारों के लिए, प्रति घंटा संदेय साधारण उपलब्धियां मासिक उपलब्धियों का 150वां भाग होंगी।"

उन्होंने तर्क रखा है कि देसाई अधिनिर्णय ने इस प्रकार अतिकाल संदाय की संगणना की नयी पद्धति चलाई है। फिर भी उन्होंने यह स्वीकार किया है कि देसाई अधिनिर्णय का पैरा 19.14 अतिकाल भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए, अनुमित प्रति मास 150 कार्य-घंटों को लागू करना प्रतिवारित करता है, और अपने लिखित कथन के पैरा 9 में उन्होंने कहा है कि पैरा 19.14 में के निदेशों के अधीन शास्त्री अधिनिर्णय द्वारा यथा-विहित अतिकाल की संगणना की पद्धति, इस बात के होते हुए भी कि इस बीच नये वेतनमान प्रवृत्त हो गये थे, जारी रखनी होगी। अपने लिखित कथन के पैरा 10 में श्री मंडल ने निम्नलिखित तर्क रखा है—

"संस्था निवेदित करती है कि जिस दर पर अतिकाल भत्ता संदेय है वह दो बातों पर निर्भर है— (1) अतिकाल घंटों की संगणना की पद्धति और (2) अलग-अलग कर्मचारी की मजूरी। देसाई अधिनिर्णय के पैरा 19.14 के निदेशों में यह अन्तर्विष्ट है कि अतिकाल घंटों की संगणना की दो प्रणालियां होंगी (1) जैसी कि देसाई अधिनिर्णय के प्रवर्तन से पूर्व वर्तमान थी और उसके निबन्धनों के अनुकूल संदाय, तथा (2) जैसी कि अनुमित प्रतिमास 150 कार्य-घंटों के अनुसार देसाई अधिनिर्णय द्वारा विहित है और उसके निबन्धनों के अनुकूल संदाय। उक्त देसाई अधिनिर्णय के पैरा 19.13 में कर्मकारों पर लागू होने वाली मजूरी का 1 जनवरी, 1962 से लागू किया जाना निदिष्ट है। इसलिए, अतिकाल भत्ते के अवधारण के लिए, मजूरी, अतिकाल घंटों की संगणना की दोनों पद्धतियों में सामान्य कारक बनी रहेगी"।

7. मैं श्री के० के० मंडल के इस तर्क से प्रभावित नही हुआ हूं। मेरा सुझाव तो बैंकों की ओर से प्रस्तुत इन तर्कों से सहमत होने की ओर है कि पैरा 19.14 के निदेशों का उचित निर्वचन यह है कि अतिकाल संदायों की संगणना की दर, 1 जनवरी, 1962 से उस तारीख तक जब कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-क के अधीन देसाई अधिनिर्णय प्रवर्तनीय हुआ था, अर्थात् 30-7-1962 तक, की कालावधि के लिए वह होनी थी जो पहले के शास्त्री अधिनिर्णय द्वारा विहित है और उसका संदाय उन उपलब्धियों के आधार पर किया जाना था जो कर्मकारों को शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन मिलनी थीं। मेरी राय में, बैंकों की ओर से विद्वान सालीसिटर श्री आर० सेतलूर ने यह तर्क ठीक ही रखा है कि यदि देसाई अधिकरण का आशय यह था कि 1 जनवरी, 1962 से उस समय तक, जब तक कि अधिनिर्णय प्रवर्तनीय हुआ, अतिकाल संदाय का आधार देसाई अधिनिर्णय के मंजूरी-मान और महंगाई भत्ता, आदि होना था, तो अधिकरण के लिए पैरा 19.14 में अन्तर्विष्ट दृष्टान्त देना आवश्यक नहीं था और विशेषकर इन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी—

"इस बात के होते हुये भी कि इस बीच नये वेतन मान, महंगाई भत्ता आदि प्रवृत्त हो गये हैं।"

मैं श्री सेतलूर के इस तर्क से सहमत हूं कि इस निदेश का सही निर्वचन यह है कि इस बात के होते हुए भी कि देसाई अधिनिर्णय के मंजूरी-मान, महंगाई भत्ता आदि 1 जनवरी, 1962 से प्रवृत्त हो गये थे, अतिकाल संदाय की संगणना 1 जनवरी, 1962 से उस तारीख तक की कालावधि के लिये, जब कि अधिनिर्णय प्रवर्तनीय हुआ, या तो यथा-उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के, अथवा यदि सम्पृक्त बैंक यथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अन्तर्गत नहीं आता था, तो सम्पृक्त बैंक के वर्तमान उपबन्धों के आधार पर की जानी थी। मेरा समाधान हो गया है कि देसाई अधिनिर्णय के पैरा 19.14 में अन्तर्विष्ट बावजूद-खंड उक्त निदेश की बाबत बैंक की ओर से किये निर्वचन का स्पष्टरूप से समर्थन करता है। मेरी राय में श्री सेतलूर का यह तर्क युक्तिसम्मत और न्यायोचित है कि देसाई

अधिकरण, को, बैंकों की ओर से उसे किये गये निवेदनों के आधार पर, इस बात का बोध था कि 1-1-1962 से लेकर अधिकरण के अधिनिर्णय के प्रवर्तनीय होने तक की कालावधि के दौरान में ली गई मंजूरी और महंगाई भत्ते के आधार पर अतिकाल संदाय के लिए सम्भाव्य दावे किये जायेंगे और यही कारण है कि उसने विनिर्दिष्ट रूप से बावजूद-खंड का उपबन्ध किया और यह कथन किया कि इस बात के होते हुये भी कि नये वेतनमान पहले की तारीख, अर्थात् 1-1-1962, से प्रवृत्त हो गये थे, अतिकाल के लिये संगणनाएं शास्त्री अधिनिर्णय में यथा-निर्दिष्ट उस अधिनिर्णय के, जैसा कि वह उपान्तरित हुआ था, अधीन दिये गये वेतनों के आधार पर की जायेंगी। मेरा समाधान हो गया है कि, जैसा कि भारत के बैंकों के श्रम सचिवालय के प्रतिवाद-पत्र में कहा गया है, बकों ने देसाई अधिकरण के समक्ष विनिर्दिष्टतया यह निवेदन किया था कि स्वीकारोक्ति किये बिना यह मान लेने पर भी कि मजूरी-मानों आदि के पुनरीक्षण के लिये आधार है अधिकरण को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि गत संदायों में उलट-पलट न हो, तथा बैंकों द्वारा किये गये अतिकाल संदायों के बारे में विशिष्ट रूप से निर्देश किया गया था। मेरा समाधान हो गया है कि, जैसा कि बैंकों के सचिवालय द्वारा निवेदन किया गया है, देसाई अधिनिर्णय के पैरा 19.14 में अन्तर्विष्ट निदेश इस मामले में किसी भी प्रकार की शंका या भ्रान्ति का परिवर्जन करने की दृष्टि से दिये गये थे, तथा देसाई अधिकरण ने अधिनिर्णय के परिणामस्वरूप अतिकाल की संगणना और संदाय का दृष्टान्त के रूप में विनिर्दिष्टरूप से निर्देश इसी उद्देश्य से किया था।

8. श्री के० के० मंडल ने इसके बाद यह आग्रह किया है कि अधिनिर्णय के पैरा 19.14 में अन्तर्विष्ट निदेशों का जो निर्वचन उन्होंने प्रस्तुत किया है उससे भिन्न कोई अन्य निर्वचन करना बैंकों को अनुतोष देना होगा जो कि अधिकरण का आशय नहीं था। किन्तु जैसा कि श्री सेतलुर ने उत्तर में कहा है, यह निदेश विनिर्दिष्टतया इस लिये दिया गया था कि अधिकरण से विशेष अभिवचन किया गया था जैसा कि उसने कहा ही है। इसका आशय बैंकों को अनुतोष देना नहीं था किन्तु संगणना की ऐसी पद्धति विहित करना था जो उस अतिकाल के अनुरूप हो जो कि दिया जा रहा था और जो तब तक जारी रहना था जब तक कि अनुमित प्रतिमास 150 कार्य घंटों पर आधृत अतिकाल की संगणना की अपनी नई पद्धति सहित अधिनिर्णय प्रवर्तनीय न हो जाए।

9. इसके अनन्तर मुझे उस तर्क से बरतना है जिसका आग्रह आल इंडिया बैंक एम्प्लाईज फैडरेशन की ओर से श्री दूधिया ने किया है। श्री दूधिया ने आग्रह किया है कि पैरा 19.14 को पैरा 10.46(17) में अन्तर्विष्ट निदेश के साथ ही पढ़ा जाना चाहिये जो इस प्रकार है :—

> "10.46 कार्य और अतिकाल के घंटों के सम्बन्ध में मैं निम्नलिखित साधारण निदेश देता हूं"
>
> "(17) एतिस्मिनूपूर्व दिये गये निदेश उन उपबन्धों के अध्यधीन होंगे जो सम्पृक्त स्थापना को लागू किसी अधिनियमिति के द्वारा या अधीन बनाये गये हों।"

श्री दूधिया ने तर्क दिया है कि चूंकि सुसंगत कानूनों के उपबन्धों के अधीन, अतिकाल की संगणना सुसंगत कानून के अधीन यथा-परिभाषित "मजूरी" पर करनी होगी, अतः यदि महंगाई भत्ते की संगणना उस वास्तविक वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर नहीं की जाती जो कि कर्मकार अधिनिर्णय के उपबन्धों के अधीन उस कालावधि के दौरान ले रहे थे तो ऐसे कानूनों के उपबन्धों और अधिनिर्णय के पैरा 19.14 में अन्तर्विष्ट निदेशों के बीच परस्पर विरोध हो जायेगा।

10. मेरा समाधान नहीं हुआ है कि इस तर्क में कोई सार है। श्री सेतलूर का कहना ठीक है जब वह यह तर्क देते हैं कि यदि पैरा 19.14 द्वारा केवल उपलब्धियां नियत की गई होतीं तो श्री दूधिया के तर्क में बल होता। उन्होंने ठीक ही तर्क किया है कि देसाई अधिनिर्णय ने बैंकों और उनके कर्मचारियों के बीच सेवा संविदा के निबन्धन तय किये हैं और यह कि सेवा संविदा यह उपबन्ध करती है कि एक विशिष्ट कालावधि अर्थात् 1-1-1962 से उस तारीख के दौरान तक जब कि अधिनिर्णय प्रवर्तनी हुआ अतिकाल भत्ते की संगणना और संदाय के प्रयोजन के लिये मूल-वेतन और महंगाई भत्ता वह मूल वेतन और महंगाई भत्ता होगा जो पहले शास्त्री अधिनिर्णय द्वारा नियत किया गया था और उसका संदाय स्वयं देसाई अधिनिर्णय द्वारा विहित उपलब्धियों पर नहीं किया जाना था जो कि अतिकाल भत्ते के प्रयोजन के लिये उस तारीख से, जबकि अधिनिर्णय प्रवर्तनीय हुआ था, अर्थात् 1-8-1962 से, लागू होने थे। उन्होंने ठीक ही तर्क किया है कि मजूरी संदाय अधिनियम के अधीन प्राधिकारी, श्रमालय और स्थापना अधिनियम के अतिकाल भत्ते से सम्बंधित उपबन्ध का निवर्चन देसाई अधिनिर्णय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सेवा संविदा के शब्दों में करेगा। मैं समझता हूं कि श्री सेतलूर के इस तर्क में सार है और मेरे विचार में देसाई अधिनिर्णय के पैरा 10.43(17) और पैरा 19.14 में अन्तर्विष्ट निदेशों में कोई ऐसा परस्पर विरोध नहीं है जैसा कि श्री दूधिया द्वारा सुझाया गया है।

11. बैंक आफ बड़ौदा एम्प्लाईज यूनियन के प्रतिनिधि ने कहा है कि उस बैंक ने देसाई अधिनिर्णय के पैरा 19.14 के अधीन अतिकाल की संगणना और संदाय, वेतन और महंगाई भत्ते के उन नये मानों के आधार पर किया था जो 1-1-1962 से प्रवृत्त हुये थे। सुनवाई में यह भी कहा गया था कि कुछ अन्य बैंकों ने भी 1-1-1962 और 1-8-1962 के बीच अतिकाल का संदाय उसी आधार पर किया था। किन्तु जो निर्वचन यूनियन ने चाहा है उसके समर्थन में यह कोई तर्क नहीं बन सकता यदि वह निर्वचन विवादग्रस्त है और सही निर्वचन के बारे में प्रश्न किसी अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाता है जिसे इस अधिनिर्णय के विवादग्रहत परिच्छेद का निर्वचन, विवादग्रस्त परिच्छेद में प्रयुक्त भाषा और अधिनिर्णय के सुसंगत और परस्पर सम्बद्ध भागों में अन्तर्विष्ट अन्य सुसंगत निदेशों को ध्यान में रखकर, देना चाहिये।

12. परिणामतः पक्षकारों द्वारा किये गये निवेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर, मेरी स्पष्टरूप से यह राय है कि राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद) के अधिनिर्णय के पैरा 19.14 के उपबन्धों को दृष्टि में रखकर बैंकों के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 1962 से 31 जुलाई, 1962 तक की कालावधि के लिये अतिकाल भत्ते की संगणना उन उपलब्धियों के आधार पर, जो उन्होंने उक्त अधिनिर्णय के प्रवर्तित किये जाने के पहिले ली हैं, की जानी चाहिए, न कि उन वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर जो उन्होंने उस कालावधि के दौरान में ली हैं, अर्थात् राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद) द्वारा अधिनिर्णीत वेतनमानों पर, और मैं तदनुसार अपना विनिश्चय देता हूं।

13. खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं।

सलीम एम० मर्चेन्ट, पीठासीन आफिसर

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 24th March 1965

No. 21-Pres./65.—Corrigendum.—In this Secretariat notification No. 17-Pres./65, dated the 26th January 1965, published in English in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 13th March 1965, on page 126—

For "Jemadar LACHMAN SINGH"

Read "Jemadar LACHHMAN SINGH".

No. 22-Pres./65.—Corrigendum.—In this Secretariat notification No. 18-Pres./65, dated the 26th January 1965, published in Hindi and English in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 13th March 1965 in serial No. 4—

On page 108

For "कप्तान अमबहादुर गुरूंग (एस आई-693) 3/8 गोरखा राइफल्स ।"

Read "कप्तान अमबहादुर गुरूंग (एस एल-696) 3/8 गोरखा राइफल्स ।"

On page 126

For "Captain AMBAHADUR GURUNG (SI-696), 3/8 Gorkha Rifles."

Read "Captain AMBAHADUR GURUNG (SL-696), 3/8 Gorkha Rifles."

V. J. MOORE, Dy. Secy.

New Delhi, the 26th March 1965

No. 23-Pres./65.—The President is pleased to approve the award of the ASHOKA CHAKRA, CLASS II, for acts of gallantry to the undermentioned personnel :—

1. 1006 VG Subedar THEPFURILIE ANGAMI
(*Effective date of award*—23*rd June*, 1963).

On 16th January, 1961, Subedar (then Jemadar) Thepfurilie Angami, with 9 Village Guards, was detailed to locate a hostile camp in a jungle area and to find out its approximate strength in order to plan suitable action. Subedar Angami located the camp in which there were about 20 hostiles. Realising that, if he went back to fetch a bigger force, the hostiles might disappear, he decided to launch an attack immediately with the meagre strength of his patrol. This attack proved very successful. On several previous occasions also he had successfully led patrols against hostiles.

In June 1963, a party was organised from among the Village Guards to go underground in order to collect intelligence. Subedar Thepfurilie Angami acted as the Captain of the pseudo-gang. He gained very valuable information as a result of which suitable action was taken. On one occasion the party met a hostile gang with a strength nearly double its own. Subedar Angami played his part with great coolness and managed to break away from the gang without raising any suspicion.

Throughout, Subedar Thepfurilie Angami displayed conspicuous bravery and resourcefulness and leadership of a very high order.

2. Shri PATRIC EDWARD CRIZZLE (Posthumous)
(*Effective date of award*—8*th March*, 1964).

On 8th March, 1964, Shri Patric Edward Crizzle was Driver of 38 Down Madras-Howrah Express. While the train was running through a station he saw that the line ahead was occupied by another train. Realising the imminent danger, he applied all the brakes to stop the train and shouted to his two firemen to jump off the engine to save their lives. He himself remained at his post and faced death instead of jumping off the engine. Shri Crizzle succeeded in appreciably controlling the severity of the collision and thereby reduced the loss of human lives, but at the cost of his own.

Shri Patric Edward Crizzle displayed great presence of mind, exemplary courage and self-sacrifice.

3. 2365 VG Subedar ZHEVISHE SEMA
(*Effective date of award*—15*th January*, 1964)

On 14th June 1963, while going up a steep climb through a densely wooded forest, Subedar Zhevishe Sema, with 11 Village Guards, was ambushed by a party of 35 armed hostiles. The hostile fire came from very close range but in the face of a hail of bullets, Subedar Zhevishe Sema showed cool courage and presence of mind. He threw a grenade and dividing his men into two parties charged from opposite directions completely routing the ambush.

On 15th January, 1964, Subedar Zhevishe Sema, with 15 Village Guards, was detailed to provide protection to the convoy of the Additional Deputy Commissioner, Zunheboto proceeding to a hostile-infested area to inspect polling booths. Subedar Zhevishe Sema volunteered to travel in the leading vehicle with only four Village Guards. When his vehicle reached a village it was ambushed and attacked with heavy small arms fire. Subedar Zhevishe Sema was hit in the thigh and fell down bleeding profusely. His pistol was also hit and put out of action. He seized a rifle from a Village Guard, crawled to a firing position and engaged the advancing hostiles, at the same time ordering his men to stand fast. His men effectively kept the hostiles at bay until the main protection force arrived and charged the hostile positions making them withdraw. Thus, during a critical period, with only 4 men under his command, Subedar Zhevishe Sema thwarted the onslaught of a much superior hostile force.

Subedar Zhevishe Sema displayed conspicuous gallantry, devotion to duty and leadership of a high order.

No. 24-Pres./65.—The President is pleased to approve the award of the VIR CHAKRA for acts of gallantry to the undermentioned personnel :—

1. Second Lieutenant VINOD KUMAR GOSWAMY (IC-12323), (*Posthumous*)
4 Garhwal Rifles
(*Effective date of award*—14*th November*, 1962).

On 14th November 1962, 2/Lt. Goswamy was detailed to observe the activities of the Chinese on the north side of river Towang Chu in NEFA, and, if possible, to capture a Chinese prisoner. He led his patrol through thick jungle and established a base south of the river. In the evening, he noticed 20 Chinese soldiers stopping near a hut in village RHO and settling down for the night.

After dark, 2/Lt. Goswamy took seven men with him and crossed the river. Some time later, he led his patrol towards the hut. 2/Lt. Goswamy observed a man sitting near the trail who he soon discovered was a Chinese sentry. Proceeding quietly towards him along with a rifleman, he pounced upon him and snatching his rifle muffled his mouth with a towel. The scuffle, however, brought another Chinese soldier out of the hut, and though he fired, 2/Lt. Goswamy bayonetted him. Our covering party then started firing sten guns and thowing hand grenades as a result of which there was confusion in the hut as well as in the village. 2/Lt. Goswamy realising that it would not be possible to drag the sentry away hit him on the head with the butt of the captured rifle and started withdrawing to his base. He was not seen thereafter. The rest of the party returned to Headquarters on the morning of the 15th November, 1962.

In this action, 2/Lt. Vinod Kumar Goswamy displayed exemplary courage, initiative and leadership in the best traditions of the Indian Army.

2. Lieutenant UJAGAR SINGH TEJE (JKC-30),
13 J & K Militia
(*Posthumous*)
(*Effective date of award*—22*nd September*, 1964).

Lieutenant Teje was Commander of a Company of J & K Militia in a valley in Jammu & Kashmir when on 22nd September, 1964, one of his platoons was attacked by approximately fifty Pakistani intruders supported by mortar and medium machine gun fire. Leading a Section himself, he defended the post courageously and repulsed the attack inflicting heavy casualties on the intruders, but was himself killed in this action.

Lieutenant Ujagar Singh Teje displayed courage and leadership in the best traditions of the Indian Army.

3. JC-4852 Subedar NANDA BAHADUR GURUNG,
3/8 Gorkha Rifles
(*Effective date of award*—22*nd September* 1964).

On 22nd September 1964, Subedar Nanda Bahadur Gurung was leader of a group facing a very steep and dominating hostile position in J & K from which his own position was being subjected to medium machine gun fire by Pakistani intruders. Realising that unless the machine gun was silenced early there would be heavy casualties on his side, Subedar Gurung crept forward and hurled a grenade. He then rushed into the intruders' gun pit, snatched the machine gun and killed the gunner with his *kukri*.

Throughout this fierce engagement, Subedar Nanda Bahadur Gurung was a source of great inspiration to his men and displayed courage and leadership in the best traditions of the Indian Army.

No. 25-Pres./65.—The President is pleased to approve the award of the ASHOKA CHAKRA, CLASS III, for gallantry to the undermentioned personnel :—

1. 1628 VG Havildar GETUCLIE ANGAMI.
(*Effective date of award*—16*th September*, 1961).

Havildar Getuclie Angami was second in command of a Village Guard Post from 1st March, 1959 to 20th May, 1961, after which he has been put in command. Under his inspiring leadership the post has been successful in capturing a number of hostiles and some arms and ammunition. He has also organised and personally led a number of successful operations against the hostiles in his area.

On the night of the 15th/16th September 1961, one of his patrols was ambushed and a Village Guard wounded. Despite the odds against him, Havildar Angami immediately charged the hostiles and shot and killed one of them at point blank range. This daring action so demoralized the hostiles that they fled leaving behind the dead man with his rifle.

Havildar Getuclie Angami displayed gallantry and leadership of a high order.

2. 1313448 Lance Naik SHANMUGA MUDALIAR CHIDAMBARAM, *(Posthumous)*
The Corps of Engineers

(Effective date of award—5th February, 1963).

Lance Naik Chidambaram was detailed to operate a point dozer on road construction in hilly and difficult terrain in Bhutan.

On 5th February 1963, while he was operating the dozer in a particularly difficult and steep stretch, the second operator gave him warning of a huge land-slide coming upon the machine from the hill side. Lance Naik Chidambaram did not abandon his dozer and, disregarding his own safety, continued to manoeuvre in an attempt to save it. But in no time, both he and the machine were buried in the deep landslide. Rescue operations were taken in hand immediately, but by the time he was reached, he was dead.

Lance Naik Shanmuga Mudaliar Chidambaram displayed courage and devotion to duty in the best traditions of the Indian Army.

3. 1819 VG Havildar DEHTHONG.

(Effective date of award—13th June 1963).

A notorious armed gang of hostiles was terrorizing the loyal villagers. The location of their hideout in the jungle. remained undetected for a long time. On the night of 12th/13th June 1963, after receipt of information about its location, Havildar Dehthong set out with 25 village guards to attack the hideout. He succeeded in locating it, but found the hostiles were in strength and armed with LMGs, Sten Guns, rifles and grenades. Havildar Dehthong's patrol was much weaker in fire power. Nevertheless, he decided to surround and attack the position. The hostiles opened fire with all their weapons, but the Village Guards under the leadership of Havildar Dehthong were able to destroy the hideout.

Havildar Dehthong displayed exemplary courage and leadership in this encounter.

4. Assistant Sub-Inspector VILAPALIE ANGAMI.

(Effective date of award—1st September, 1963).

ASI Vilapalie Angami has a record of excellent work in numerous operations against hostiles. In August 1959, he guided a patrol of Village Guards to the hideout of a notorious hostile and arrested him. In September 1963, on receipt of information about the location of a hostile hideout, he promptly set out with a Village Guard patrol to attack it. When a hostile sentry opened fire, ASI Angami who was *just behind the leading section, realising that there would* be delay in collecting the whole patrol and forming up for attack and that the hostiles might escape, took the bold decision of charging the hideout with the single section hoping that in the darkness the hostiles would not notice that his strength was less than half theirs. Completely taken by surprise by the speed and intensity of the attack, the hostiles fled leaving behind five dead men.

In this action, Assistant Sub-Inspector Vilapalie Angami displayed courage, initiative and leadership of a high order.

5. 1563523 Sapper GIAN CHAND, *(Posthumous)*
The Corps of Engineers

(Effective date of award—17th October, 1963).

On 17th October 1963, Sapper Gian Chand was operating a heavy dozer for widening a difficult rocky portion of a road in Bhutan. A rock, on which the right hand track of the machine was resting, gave way suddenly and the machine started slipping. Sapper Gian Chand was warned by the NCO in charge to jump off, but instead of saving his own life, he tried to save the machine. In this he did not succeed and fell along with the machine and was killed.

Sapper Gian Chand displayed commendable courage and devotion to duty in keeping with the best traditions of the Indian Army.

6. 3817 VG Subedar TANGSHIBA MARWATI.

(Effective date of award—31st October, 1963).

In September-October 1963, Subedar Marwati took part in a series of actions against hostiles who had entrenched themselves in a very difficult thickly wooded hilly region interspersed with numerous ravines.

On 12th September 1963, Subedar Marwati, with only 15 Village Guards and after a night's march through flooded nullahs, successfully dislodged hostiles from a camp wounding two of them and capturing valuable equipment.

On 30th September 1963, he personally led attacks on two hostile camps. Documents captured from the first camp led to the assault on the second. With only four men, he crawled through thick creepers to within 10 yards of the hostile position, threw a number of hand grenades and followed up with sten machine carbine fire. Three hostiles were killed and some weapons and equipment were captured. Subedar Marwati pressed forward in the direction of the escape route of the hostiles and wounded five more of them. Eventually the hostile position was destroyed.

Subedar Tangshiba Marwati dislplayed conspicuous bravery and devotion to duty of a high order.

7. Able Seaman TEJA SINGH (O. No. 45047).

(Effective date of award—13th January, 1964).

On 13th January 1964, fire broke out in the Projection Room of INS Mysore, and a sailor was overcome and rendered unconscious. The room was locked from inside and in spite of efforts made by many officers and sailors, no one could enter. When all hope seemed lost, Able Seaman Teja Singh volunteered to make a final bid to rescue the sailor.

Disregarding his own safety, Able Seaman Teja Singh went through the thick suffocating smoke and heat of the flames, broke open the door of the room and groping for the unconscious sailor, found him and brought him to safety. He also saved costly equipment and prevented the fire from spreading further.

In this action, Able Seaman Teja Singh displayed exemplary gallantry in the best traditions of the Indian Navy.

8. 3351817 Sepoy HARBANS SINGH, 5th Bn.,
The Sikh Regiment *(Posthumous)*

(Effective date of award—10th February, 1964).

On 10th February 1964, Sepoy Harbans Singh was the leading scout of a rifle platoon which formed part of a column that had set out the previous night to raid a hostile hideout. While the column was on the move, the scouts were fired upon from a concealed position in the jungle. Sepoy Harbans Singh charged the position firing his rifle from the hip. The hostile was wounded and fled leaving behind his rifle and ammunition.

Later, another platoon of the column came under heavy small arms fire in an adjoining area. Sepoy Harbans Singh's *platoon was assigned the task of eliminating the hostile* fire. He took the position of a scout and led his Section through thick jungle against persistent hostile small arms fire. He was hit and wounded in the leg but yet continued to move forward. Then a hostile light machine gun opened up on him and he sustained a bullet wound in the chest from which he died.

Sepoy Harbans Singh displayed exemplary courage and determination in the best traditions of the Indian Army.

9. Shri AMRIT LAL,

Son of Shri Thunnu Lal, Prasthal Bungalow, Pachmarhi.

(Effective date of award—1st March, 1964).

On 1st March 1964, the chowkidar of a bungalow at Pachmarhi suspected that a notorious absconding criminal might be staying during the night in the annexe. In order to apprehend him, the chowkidar directed his 16 year old son Amrit Lal to keep a vigil over the main building, while he himself along with 3 others took a position in the kitchen. At about 8 p.m. Amrit Lal spotted a figure ascending the stairs to the main building. He challenged the criminal, who immediately rushed at him with a dagger. Amrit Lal thrust his spear at the criminal causing him severe injury. The criminal snatched the spear, threw it away and attacked Amrit Lal. Amrit Lal raised an alarm, and the criminal made off. After a long search, he was found lying seriously injured near a nullah. Later he died in hospital.

In this action, Shri Amrit Lal displayed exemplary courage and determination.

10. 140068 Naik ATRA BAHADUR RAI,
The Assam Rifles

(Effective date of award—13th April, 1964).

Naik Atra Bahadur Rai was commanding an Assam Rifles section which destroyed a hostile hideout on the night of the 13th/14th April 1964. His task was to move a mile ahead of the main column with his Section dressed like hostiles and to apprehend all approaching civilians and hostiles so that the hideout could be taken by surprise. He fulfilled this task perfectly, and at grave risk went through the jungle to a hostile observation post. When nearly half of the hideout had been captured, the hostiles counter-attacked from the other half on high ground. Their counter-attacks were repulsed mainly due to the fighting spirit shown by Naik Atra Bahadur Rai.

In this action, Naik Atra Bahadur Rai displayed commendable courage and determination.

11. Shri HIRA SINGH THAKUR, Village Simroda, P. S Jora, District Morena, Madhya Pradesh.

(*Effective date of award—5th May*, 1964).

On the night of 5th May 1964, a gang of docoits entered Village Simroda in Madhya Pradesh. It split up into smaller parties one of which consisting of 5 or 6 dacoits entered the house of Shri Hira Singh Thakur, aged 55. The dacoits tried to force his wife to hand over the keys and deliver up all cash and ornaments. She shouted to her husband and her sons. Shri Hira Singh Thakur grappled with the dacoits, and hit them with a road rammer which was lying nearby knocking two of them unconscious and injuring others. The dacoits shot down his wife and sons and snatched the road rammer from him. But when one of them was aiming his gun at him, Shri Hira Singh Thakur snatched it started beating them with the butt. Meanwhile, the other dacoits reached the scene, picked up their unconscious comrades, and retreated firing shots and killing two persons. But for the gallant fight put up by Shri Hira Singh Thakur, the dacoits would have looted many more houses in the village.

In this action, Shri Hira Singh Thakur displayed exemplary courage and tenacity.

12. JC-19079 Jemadar KISHAN LAL, E.M.E. (*Posthumous*).

(*Effective date of award—15th October*, 1964).

In August 1964, a 3-ton vehicle with three men fell into the river Indus leaving no trace behind. Jemadar Kishan Lal, incharge of a recovery detachment, made bold but unsuccessful efforts to locate the vehicle. Later in October the water receded and a part of the vehicle became visible. Jemadar Kishan Lal tried to recover the vehicle and the bodies of the three men with the help of an improvised raft. With great skill he manoeuvred the flimsy raft in the fast currents to reach the spot. Thrice he lowered himself into the icy cold water in his attempt to hook the vehicle from different points. He finally succeeded in doing so, but while shifting the vehicle, his raft over-turned and he was thrown into the fast flowing current and swept way. He used always to undertake the most dangerous and difficult tasks himself and was a source of inspiration to his men.

Jemadar Kishan Lal displayed exemplary courage, determination and selfless devotion to duty in the best traditions of the Indian Army.

Y. D. GUNDEVIA, Secy., to the President

PLANNING COMMISSION

PANEL ON SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 5th March 1965

No. PC/SW/17(14)/64.—Planning Commission have reconstituted the panel on Social Welfare which was set up under Resolution No. PC/SW/17(14)/64 dated the 17th October 1964. The Panel will review the programmes of the Third Five Year Plan in the field of Social Welfare and advise the Planning Commission on future programmes during the Fourth Five Year Plan.

2 The reconstituted panel will be as follows :

Chairman

1. Shri Tarlok Singh,
Member,
Planning Commission.

Members

2. Smt. Durgabai Deshmukh,
Hony. Director,
Council for Social Development,
New Delhi.

3. Smt. Achamma J. Matthai,
Chairman,
Central Social Welfare Board,
New Delhi.

4. Swami Ranganathananda,
Ramakrishna Mission,
Calcutta.

5. Dr. J. F. Bulsara,
Member,
Central Social Welfare Board,
Bombay.

6. Smt. Shyam Kumari Khan, M.P.,
New Delhi.

7. Shri V. C. Kesava Rao, M.P.,
New Delhi.

8. Dr. V. Jagannadham,
Prof. of Social Admn.
Indian Institute of Public Admn.,
New Delhi.

9. Shri Sugata Dasgupta,
Jt. Director,
Gandhian Institute of Studies,
Varanasi.

10. Smt. Raksha Saran,
Chairman,
National Council for Women Education,
New Delhi.

11. Smt. Indirabai Joshi,
Hony. Secretary,
Children's Aid Society,
Bombay.

12. Mrs. Mary Clubwala Jadhav,
President,
Indian Conference of Social Work,
Madras.

13. Shri Paripurnanand Varma,
President,
All India Crime Prevention Society,
Kanpur.

14. Dr. M. S. Gore,
President,
Association of the School of Social Work,
Bombay.

15. Prof. Raja Ram Shastri,
Dean,
Institute of Social Sciences,
Varanasi.

16. Shri T. Ramachandra,
General Secretary,
Bharat Sevak Samaj,
New Delhi.

17. Shri L. C. Jain,
General Secretary,
Association of Voluntary Agencies for Rural Development,
New Delhi.

18. Shri S. H. Pathak,
Indian Association of Trained Social Workers,
Delhi.

19. Shri K. L. Bordia,
Director,
Vidya Bhavan Rural Institute,
Udaipur.

20. Smt. V. Rajalakshmi,
Secretary,
Kasturba Gandhi National Memorial Trust,
Indore.

21. Smt. Shakuntla Lal,
Hony. General Secretary,
Association for Moral & Social Hygiene,
New Delhi.

22. Shri M. G. Dharmaraj,
General Secretary,
National Council of Young Men's Christian Association of India,
New Delhi.

23. Miss Ivy Khan,
General Secretary,
National Young Women's Christian Association,
New Delhi.

24. Shri Radha Raman,
President,
Indian Council for Child Welfare,
New Delhi.

25. Shri Nauhria Ram,
Deputy Educational Adviser
Deptt. of Social Security,
New Delhi.

26. Shri M. Y. Godbole,
Commissioner, Panchayati Raj,
Ministry of Community Development and Cooperation,
New Delhi.

Member-Secretary

27. Shri P. D. Kulkarni,
Assistant Chief,
Planning Commission.

3 The Panel may, for its studies, constitute Committees and co-opt members.

4. The panel, as a whole, or in part, may meet as often at New Delhi or any other place as may be decided by the Chairman.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

RESOLUTION

PANEL ON WELFARE OF BACKWARD CLASSES

No. PC/SW/17(15)/64.—Planning Commission have reconstituted the Panel on Welfare of Backward Classes which was set up under Resolution No. PC/SW/17(15)/64, dated the 17th October, 1964. The Panel will review the programmes of the Third Five Year Plan in the field of Welfare of Backward Classes and advise the Planning Commission on future programmes for the Fourth Five Year Plan. The reconstituted panel will be as follows :—

Chairman

1. Shri Tarlok Singh,
Member,
Planning Commission.

Members

2. Swami Ranganathananda,
Ramakrishna Mission,
Calcutta.
3. Shri Anil K. Chanda,
Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes,
New Delhi.
4. Prof. B. H. Mehta,
(Director, Gondwana Institute of Tribal Research)
Tata Institute of Social Sciences,
Bombay.
5. S. Abdul Qadir,
Director General of Employment and Training
New Delhi.
6. Dr. B. S. Haikerwal,
Professor of Criminology and Penology,
Kashi Vidyapith,
Varanasi.
7. Shri Sivamurthi Swami, M.P.,
New Delhi.
8. Shri M. G. Uikey, M.P.,
New Delhi.
9. Shri Ram Dhani Das, M.P.,
New Delhi.
10. Smt. T. Lakshmi Kantamma, M.P.,
New Delhi.
11. Shri P. N. Rajabhoj,
President,
Bharat Dalit Sevak Sangh,
Poona.
12. Prof. M. N. Srinivas,
Head of the Deptt. of Sociology,
University of Delhi,
Delhi.
13. Shri A. K. Karan,
Member-Secretary,
Khadi & Village Industries Commission,
Bombay.
14. Shri A. W. Sahasrabudhe,
Chairman,
Rural Industries Planning Committee,
Planning Commission.
15. Shri Jiwan Lal Jairamdas,
Secretary,
Harijan Sevak Sangh,
Delhi.
16. Shri Dahyabhai Naik, M.P.,
General Secretary,
Bharatiya Adimjati Sevak Sangh,
New Delhi.
17. Shri Dharm Dev Shastri,
Hony. Secretary,
Bharatiya Adimjati Sevak Sangh,
New Delhi.
18. Shri Paripurnanand Varma,
President,
All India Crime Prevention Society,
Kanpur.
19. Shri L. M. Shrikant,
General Secretary,
Gandhi Smarak Nidhi,
New Delhi.
20. Shri Radhakrishna,
General Secretary,
Sarva Seva Sangh,
Varanasi.
21. Shri Manikyalal Varma, M.P.,
General Secretary,
Bharatiya Ghumantu Jan Sevak Sangh,
New Delhi.
22. Dr. P. D. Shukla,
Jt. Educational Adviser,
Ministry of Education,
New Delhi.
23. Shri M. P. Bhargava,
Commissioner (Cooperation),
Ministry of Community Development and Cooperation,
New Delhi.
24. Shri M. Y. Godbole,
Commissioner (Panchayati Raj)
Ministry of Community Development and Cooperation,
New Delhi.
25. Shri Jaipal Singh, M.P.,
President, All India Adivasi Mahasabha,
New Delhi,
26. Shri S. M. Siddiah, M.P.,
Member,
Central Advisory Board for Harijan Welfare,
New Delhi,
27. Shri Rishang Keishing, M.P.,
Member,
Central Advisory Board for Tribal Welfare,
New Delhi.
28. Shri S. C. Sengupta,
Joint Secretary,
Deptt. of Social Security,
New Delhi,

Member-Secretary

29. Shri P. D. Kulkarni,
Assistant Chief,
Planning Commission.

2. The Panel may, for its studies, constitute Committees and Co-opt members.

3. The panel as a whole, or in part may meet as often at New Delhi or any other place as may be decided by the Chairman.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

M. BUTT, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY AND SUPPLY

(Department of Industry)

New Delhi, the 22nd March 1965

No. 3-102/64-MEI.—Reference the Ministry of Industry and Supply, Resolution No. 3-102/64-MEI, dated the 9th February 1965 constituting a Technical Committee to examine some of the problems of the Cement Machinery Industry.

2. The Committee has not yet completed its study and has not been able to submit its report by the scheduled date *viz.*, the 15th March 1965. It has therefore been given further time up to the 15th April 1965, to submit its report.

P. J. MENON, Under Secy.

New Delhi, the 22nd March 1965

No. 7/8/65-SSI(C)(.).—In continuation of this Ministry's notification No. 7/9/64-SSI(C), dated the 5th March 1964, the President is pleased to extend the duration of the Public Works Divisions referred to therein as follows :

(1) Northern S.S.I. Works Division, New Delhi. (2) Western S.S.I. Works Division, Bombay.	1st March 1965 to the 31st May, 65 or till the completion of the existing works, whichever is earlier.
(3) Southern S.S.I. Works Division, Madras. (4) Eastern S.S.I. Works Division, Calcutta.	1st March, 1965 to the 31st August, 1965.

T. R. V. CHARI, Dy. Secy

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd March 1965

No. 2-15/64-Cem.I.—In partial modification of the late Ministry of Commerce and Industry's Resolution No. Cem-1(31)/61, dated the 21st October, 1961, the Government of India have decided to re-constitute the Panel on Cement Industry. The tenure of the new Panel will be two years from the date of this Resolution and its composition will be as follows :

Chairman

1. Dr. G. P. Kane, Deputy Director General (Chemicals), Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Member-Secretary

2. Dr. S. P. Verma, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Members

3. Shri G. S. Sial, Director-Incharge of Cement Distribution, State Trading Corporation of India Ltd., New Delhi.
4. Shri Rabinder Singh, Joint Director, National Building Organisation, Ministry of Works & Housing, New Delhi.
5. Shri S. K. Chopra, Senior Scientific Officer, Central Building Research Institute, Roorkee (U.P.).
6. Dr. R. R. Hattiangadi, Managing Director, Associated Cement Companies Ltd., 121, Queen's Road, Bombay-1.
7. Shri G. R. Tongaonkar, Deputy Managing Director, ACC-Vickers-Babcock Ltd., 16, Queen's Road, Bombay.
8. Shri V. Podder, Works Director, M/s. Rohtas Industries Ltd., Dalmianagar (Bihar).
9. Shri K. S. Narayanan, Director, India Cements Ltd., Dhun Building, 175/1 Mount Road, Madras.
10. Shri V. Ramakrishna, Chairman, M/s. K. C. P. Ltd., Ramakrishna Buildings, 38, Mount Road, Madras-6.
11. Shri J. R. Birla, President, Birla Jute Manufacturing Co. Ltd. (Cement Division), 15, India Exchange Place, Calcutta-1.
12. Shri V. N. Pai, Manager, A.C.C.'s Research Station, Agra Road, Thana, (Maharashtra State).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be also published in the Gazette of India for general information.

R. NATARAJAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH

RESOLUTION

New Delhi, the 27th March 1965

No. F. 4-36/60-*FPII.*—In partial modification of the Government of India, Ministry of Health Resolution No. 4-36/60-FPII, dated the 24th December 1964, Shrimati Sumitra Devi, Minister for Information and Family Planning, Bihar is appointed a member of the Central Family Planning Board.

BASHESHAR NATH, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd March 1965

No. 13-49/64-*LD.*—The Government of India have decided to constitute a Panel of Scientists to advise them on various matters falling in the field of animal husbandry, administered by the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture).

Composition

The composition of the panel will be as under :—

1. Dr. P. Bhattacharya,
   Animal Husbandry Commissioner
   with the Government of India,
   New Delhi.
2. Dr. K. K. Iya,
   Dairy Development Adviser,
   Ministry of Food & Agriculture,
   New Delhi.
3. Dr. M. R. Dhanda,
   Director,
   Indian Veterinary Research Institute,
   Izatnagar.
4. Dr. S. Bhattacharya,
   Deputy Milk Commissioner
   and Incharge Livestock Research Station
   Haringhatta Farm,
   Calcutta.
5. Dr. D. Sundaresan,
   Animal Geneticist,
   Punjab Agricultural University,
   Ludhiana.
6. Dr. S. N. Ray,
   Officer-in-charge,
   Eastern Regional Station,
   National Dairy Research Institute,
   Calcutta.
7. Prof. James N. Warner,
   Head, Department of Dairy Technology,
   Allahabad Agricultural Institute,
   Naini,
   Allahabad.
8. Dr. Madhukar Shah,
   Manager (Dairy Husbandry)
   Kaira District Cooperative Milk
   Producers' Union Ltd.,
   Anand.
9. Shri N. R. Joshi,
   Former Animal Breeding Specialist, F.A.O.
   23, Kesarbagh Colony, Race Course Road,
   Gwalior-2.
10. Shri G. C. Juneja,
    Director of Animal Husbandry,
    Madhya Pradesh,
    Bhopal.
11. Dr. C. Krishna Rao,
    Director of Animal Husbandry,
    Assam,
    Gauhati.

Rules of Procedure

The Panel will meet as often as necessary and will consider and advise on matters referred to them by the Minister for Food and Agriculture.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Parliament Library (5 copies), all members of the Panel of Animal Husbandry Scientists, Directors of Agriculture and Animal Husbandry in all the States and Union Territories, all attached and subordinate offices under the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

RESOLUTION

The 26th March 1965

No. 6-10/65-*Genl.II.*—The Government of India have decided that Shri R. S. Randhawa, Commissioner of Agricultural Production and Rural Development, Government of Punjab, Chandigarh, will be a member of the Panel of Experts on Agricultural Administration constituted under this Ministry's Resolution No. 6-34/64-C(G), dated the 24th September 1964, *vice* Shri A. L. Fletcher, Financial Commissioner (Revenue), Punjab.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the States Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secrtt., Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Parliament Library (5 copies), All members of the Panel of Experts on Agricultural Administration, Directors of Agriculture and Animal Husbandry in all the States and Union Territories, all Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

G. R. KAMAT, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi-1, *the 25th March* 1965

No. F. 24-15/64-*H.I.*—In continuation of the Ministry of Education, Resolution No. F. 9-16/58-H.I., dated the 15th March 1960, and Notification of even number dated the 19th March 1960, the Government of India have decided to extend the term of the existing Chairman and members of the Kendriya Hindi Shikshana Mandal and the Governing Council for a period of six month from the 15th March 1965 to 14th September 1965.

2. ORDERED that this notification be published in the Gazette of India.

P. N. DHIR, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 27th March 1965

CORRIGENDUM

No. 17-*PG*(53)/64.—In Resolution No. 17-PG(53)/64, dated the 12th February 1965, of the Government of India, *for* the figure "184.68" in part I—Financial Results (a) Port Fund, *read* the figure "183.38".

R. RANGARAJAN, Under Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 26th March 1965

RESOLUTION

No. EL-II-35(1)/65.—In para 1 of this Ministry's Resolution No. EL-II-35(1)/65, dated the 2nd March 1965, regarding the constitution of a Committee to examine the transmission and distribution system of Delhi, the following shall be substituted for the existing entry at (ii).

(ii) Shri K. G. R. Iyer, Joint Secretary, Ministry of Irrigation & Power, New Delhi. — Member

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to Delhi Municipal Corporation, Delhi Electric Supply Undertaking, the New Delhi Municipal Committee, the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Secretary to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, and the Delhi Administration.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

V. NANJAPPA, Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 26th March 1965

No. 55(42)63-LRIV.—The following decision of the Industrial Tribunal, Bombay in respect of the matter referred to it under section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the order of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment No. S.O. 801, dated the 27th February 1964 seeking correct interpretation of the provisions of the award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes), Bombay relating to payment of overtime allowance is hereby published for general information.

(DECISION)

O. P. TALWAR, Under Secy.
[No. 55(42)/63-LRIV]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. C.G.I.T. 38 of 1964

CERTAIN BANKING COMPANIES

and

THEIR WORKMEN

Present: Shri Salim M. Merchant, Presiding Officer.

Appearances

For the State Bank of India and other employer Banks: Shri R. Setlur, Solicitor of Messrs Crawford Bayley & Company with Shri N. R. Pandit, Secretary and Legal Adviser of Labour Secretariat of Banks in India.

For the Workmen: Shri K. K. Mundal, Vice-President with Shri V. M. Chitnis, Central Committee Member for the All India Bank Employees Association, Shri H. K. Sowanik Advocate for the State Bank of India Staff Federation.

Shri C.L. Dudhia, President, with Shri O. P. Nigam, Joint Secretary, M.R. Sood; Office Secretary, Shri N. P. Desai, Vice-President, Shri M. B. Ghotananker, Joint Secretary, Shri G. K. Awasthe, Member, Executive Committee, Shri K. A. Bandya, Shri B. H. Desai for the All India Bank Employees' Federation.

Shri M. Rajgopal, General Secretary, All India Bank of Baroda Employees Federation.

Industry: Banking State: All India.

Bombay, dated 30th January 1965

(DECISION)

The Central Government, by the Ministry of Labour & Employment's Order No. 55(42)/63 LR.IV, dated 27th February 1964, made in exercise of the powers conferred by Section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947), referred to me for interpretation a difficulty or doubt which has arisen as regards the interpretation of the Award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes), Bombay, published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 30th June 1962 under S.O. No. 2028, dated the 13th June 1962. The question on the interpretation of which a difficulty or doubt has arisen is specified in the schedule annexed to the said order, which is in the following terms :—

SCHEDULE

"Whether keeping in view the provisions of paragraph 19.14 of the Award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes), the overtime allowance for the period 1st January, 1962 to 31st July, 1962 to employees in banks should be calculated on the basis of the actual emoluments drawn by them during that period, that is, scales of pay as awarded by the National Tribunal or the emoluments drawn by them prior to the enforcement of the said Award."

2. After the reference was made the usual notices were issued on the parties and written statements of claim were received from (1) the All India Bank Employees' Association, (2) the All India State Bank of India Staff Federation, representing the workmen employed by the State Bank of India, (3) the All India Bank Employees' Federation, representing the workmen, and on behalf of the Banks from (1) the State Bank of India, (2) the Labour Secretariat of Banks in India, after which the submissions of the parties were heard by me on 27-1-1965.

3. The reference calls for interpretation of paragraph 19.14 of the Award of the National Industrial Tribunal (Banks Disputes), (hereinafter referred to as the Desai Award) which is in the following terms :—

"19.14. In respect of all other matters, this award will come into operation on the date when the award becomes enforceable under the provisions of section 17A of the Industrial Disputes Act, 1947. As regards all matters in respect whereof this award will come into operation with effect from the date when it becomes enforceable as aforesaid, all the existing provisions will continue to operate notwithstanding anything herein contained, until this award comes into operation in respect of all such matters. For instance, for the purpose of calculation and payment of overtime, the existing provisions will, continue to apply from 1st January 1962 till the date when the award becomes enforceable under the provisions of section 17A, notwithstanding the fact that the new scales of pay, dearness allowance, etc. have come into operation in the meantime."

4. Before I proceed to deal with the submissions of the parties, it is necessary to state that amongst the subject matters referred for adjudication to the said Tribunal, subject matter No. 8 related to, "hours of work and overtime". It is admitted that in respect of hours of work and overtime no retrospective effect was granted by the Desai Award.

5. It is admitted, however, that the Desai Award fixed new scales of pay and dearness allowance, which under directions contained in the Award, came into force from 1-1-1962. The Desai Award became enforceable under Section 17A of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act XIV of 1947) in August, 1962. Para 19.13 of the Award mentions the following six subject-matters on which the directions in the Award were to come into force from 1-1-1962 :—

(i) Categorisation of banks and areas,

(ii) Scales of pay,

(iii) Method of adjustment in the scales of pay,

(iv) Dearness allowance,

(v) Special allowance, house rent allowance, officiating allowance, hill allowance and fuel allowance,

(vi) Provident fund, pension and gratuity.

It will be noticed that overtime was one of the other matters which has been dealt with under para 19.14 of the Act.

6. Shri K. K. Mundul, the Vice-President of the All India Bank Employees' Association, has urged that under paragraph 19.14 of the Award what has been directed is that for the purpose of calculation and payment of overtime, the existing provisions *i.e.* provisions under the Sashtri Award, would continue to apply from 1-1-1962 till the Desai Award became enforceable on 1-8-1962. But the quantum of pay and dearness allowance on which the over time was to be calculated and paid was the new scales of pay and dearness allowance, which has been prescribed by the Desai Award and which had come into force as stated earlier with effect from 1-1-1962 as directed in paragraph 19.13 of the Award. He has urged that this is the logical interpretation because the question of hours of work and overtime has been dealt with in paragraph 10.1 and the general directions on overtime are given in paragraph 10.21 of the Desai Award. He has drawn attention to paragraph 10.40 of the Desai Award which has described the mode of calculation and the same has been set out as a specific provision in paragraph 10.46 (15) of the Desai Award which is in the following terms :

"For the purpose of calculating the amount payable for overtime work every month shall be deemed to consist of 150 working hours so that the ordinary emoluments payable per hour will be deemed to be 1/150th of the monthly emoluments for all workmen."

He has argued that the Desai Award has thus introduced a new mode of calculation of overtime payment. He, however, admitted that para 19.14 of the Desai Award precludes the application of the notional hours of work of 150 per month for the purpose of calculation of overtime allowance and in para 9 of his written statement he has stated that under

the directions in para 19.14 the method of calculation of the overtime as prescribed by the Sashtri Award has to be continued, in spite of the fact that the new scales of pay had come into force in the meantime. In para 10 of his written statement Shri Mundul has argued as follows :—

"The Association submits that the rate at which the overtime allowance is payable is dependent on the dual factors—(1) mode of calculation of overtime hours and (2) wages of the individual employees. The directions in paragraph 19.14 of the Desai Award contain that there shall be two systems of calculation of overtime hours (1) as was in existence prior to the enforcement of the Desai Award and payment in terms thereof; and (2) as prescribed by the Desai Award at the notional working hours of 150 per month and payment in terms thereof. In paragraph 19.13 of the said Desai Award the wages governing the workmen are directed to be made applicable as from 1st January 1962. Therefore, for the determination of overtime allowance, the wages will continue to be a common factor in both the systems of calculation of overtime hours."

7. I am not impressed by this contention of Shri K. K. Mundul. I am inclined to agree with the contentions urged on behalf of the Banks that the proper interpretation of the directions in paragraph 19.14 is that the rate of calculation of the overtime payments for the period 1st January 1962 till the date the Desai Award became enforceable under Section 17A of the Industrial Disputes Act *i.e.* till 30-7-1962, the rate of calculation for overtime payments was to be that prescribed by the earlier Sashtri Award and that it was to be paid on the basis of the emoluments which the workmen were to draw under the Sashtri Award. In my opinion Shri R. Setlur, the learned Solicitor for the Banks has rightly argued that if it was the intention of the Desai Tribunal that overtime payment from 1st January 1962 till the time the Award became enforceable was to be on the basis of the Desai Award wage scales and dearness allowance etc. then there was no need for the Tribunal to have given the illustration contained in paragraph 19.14 and particularly no need to have used the words

"notwithstanding the fact that the new scales of pay, dearness allowance, etc. have come into operation in the meantime."

I agree with Shri Setlur's contention that the true interpretation of this direction is that notwithstanding that the Desai Award wage scales, dearness allowance, etc., had come into force from 1st January 1962, the overtime payment was to be calculated for the period 1st January 1962 till the date the award became enforceable, on the basis either of the Sashtri Award as modified or the existing provisions of the Banks concerned in case, the Bank was not covered by the Sashtri Award as modified. I am satisfied that the non-obstante clause contained in paragraph 19.14 of the Desai Award clearly supports the Bank's interpretation of the said direction. In my opinion the contention of Shri Setlur that the Desai Tribunal was aware on the submissions made to it on behalf of the Banks that possible claims would be made for overtime payment on the basis of the wages and dearness allowance drawn during the period 1-1-1962 till the Tribunal award became enforceable and that is why it specifically provided the non-obstante clause and stated that notwithstanding the coming into force of the new scales of pay from an earlier date *i.e.* 1-1-1962, the calculations for overtime would be made as directed in the Sashtri Award on the basis of the salaries paid under that Award as modified, is well founded and justified. I am satisfied as stated in the written statement of the Labour Secretariat of Banks in India that the Banks had specifically submitted before the Desai Tribunal that even assuming without admitting that a case existed for revising wage scales etc. the Tribunal should ensure that past payments were not disturbed and in particular a reference was made to overtime payments made by the Banks. I am satisfied as submitted by the Banks Secretariat that the directions contained in paragraph 19.14 of the Desai Award were made with a view to avoid any doubt or misunderstanding in the matter and it was with that object that the Desai Tribunal specifically referred by way of illustration to the calculation and payment of overtime as a result of the Award.

8. Shri K. K. Mundul has next urged that to give any other interpretation than the one urged by him to the directions contained in paragraph 19.14 of the Award would be to grant the Banks a relief, which was not the intention of the Tribunal. But as urged by Shri Setlur, in reply, this direction was specifically granted because of the special pleading made to the Tribunal as stated by him. The intention was not to give a relief to the Banks but to prescribe a method of calculation which would be in consonance with the overtime that was being paid and which was to continue till the Award became enforceable with its new method of calculation of overtime, based on notional work basis of 150 hours in a month.

9. I must next deal with the argument urged by Shri Dudhia for the All India Bank Employees' Federation. Shri Dudhia has urged that para 19.14 should be read in conjunction with direction contained in para 10.46(17), which is as follows :—

"10.46 I give the following general directions in connection with hours of work and overtime :—"

"(17) The directions hereinbefore given shall be subject to the provisions made by or under any enactment applicable to the establishment concerned."

Shri Dudhia has argued that as under the provisions of the relevant statutes, the overtime would have to be calculated on "wages" as defined under the relevant statute, there would be a conflict between the provisions of such statutes and the directions contained in Para 19.14 of the Award, if dearness allowance were not to be calculated on the basis of the actual pay and dearness allowance, which the workmen were drawing during the period, under the provisions of the Award.

10. I am not satisfied that there is any substance in this argument. Shri Setlur is right when he argued that if mere emoluments had been fixed by paragraph 19.14, then Shri Dudhia's argument would have had same force. He has rightly argued that the Desai Award has fixed the terms of the contract of service between the Banks and their employees and that that contract of service provides that during a particular period *i.e.* 1-1-1962 to the date the Award became enforceable, the basic pay and dearness allowance for the purpose of calculation and payment of overtime would be the basic pay and dearness allowance which were fixed under the earlier Sashtri Award and it was not to be paid on the emoluments prescribed by the Desai Award itself, which were to be applied for the purpose of overtime only from the date the Award became enforceable *i.e.* 1-8-1962. He has rightly argued that the Authority under the Payment of Wages Act, would interpret the provision of the Shops & Establishments Act in respect of the overtime payment in terms of the contract of service as specified by the Desai Award. I think there is substance in this contention of Shri Setlur and I do not think there is any conflict in the directions contained in para 10.43(17) and para 19.14 of the Desai Award as suggested by Shri Dudhia.

11. It has stated by the representative of the Bank of Baroda Employees' Union that that Bank had calculated and paid overtime under para 19.14 of the Desai Award on the basis of the new scales of pay and dearness allowance, which had come into force from 1-1-1962. It was also stated at the hearing that certain other Banks had also paid overtime between 1-1-1962 and 1-8-1962 on that basis. But that cannot be an argument in support of the interpretation sought to be placed by the Union, if that interpretation is disputed and the question as to the correct interpretation is referred to a Tribunal for interpretation which must give the interpretation of the disputed passage in the Award having regard to the language used in the disputed passage and the other relevant directions contained in the relevant and co-related parts of the Award.

12. In the result, on a careful consideration of the submissions made by the parties, I am clearly of the opinion that keeping in view the provisions of paragraph 19.14 of the Award of the National Industrial Tribunal (Banks Disputes), the overtime allowance for the period 1st January 1962 to 31st July 1962 to employees in Banks should be calculated on the basis of the emoluments drawn by them prior to the enforcement of the said award and not on the basis of the actual emoluments drawn by them during the period *i.e.* on the scales of pay awarded by the National Industrial Tribunal (Banks Disputes), and I give my decision accordingly.

13. No order as to costs.

SALIM M. MERCHANT, Presiding Officer

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965